ISSN:0975-4431
RNI:MPHIN/2009/29572

नवीन सामाजिक शोध

नवीन सामाजिक शोध

अंर्तराष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

NAVEEN SAMAJIK SHODH

International Monthly Research Journal

वर्ष-8 अंक-10 (कुल अंक-94) दिसम्बर 2016

मूल्य - 100 रूपये

International Research Journal
Research Journal Useful for
Social Development

नवीन सामाजिक शोध

नवीन सामाजिक शोध

मासिक शोध पत्रिका

अध्ययन एवं अनुसंधानं पर
आधारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
उत्कृष कार्य करने पर
ISSN:0975-4431 प्राप्त हुआ

हम सभी क्षेत्रों विषयों पर वैज्ञानिकों प्रोफेसरों और शोधार्थीयों द्वारा तैयार शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

शोधार्थीयों द्वारा अपना रिसर्च वर्क प्रारम्भ करने से पूर्व पांच शोध पत्रों के प्रकाशन की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी इंगलिश भाषाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

सामान्यतः विज्ञान विषयों के शोध पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते हैं किन्तु हम विज्ञाज विषय के शोध पत्र भी हिन्दी भाषा में प्रकाशित करते हैं। जिससे हमारे मध्यप्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर पाते हैं।

अतः हमारी पत्रिका में केवल उच्च गुणवत्ता प्राप्त अनुसंधानिक/शोध पत्र ही प्रकाशित किये जाते है।

प्रकाशक

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

नवीन सामाजिक शोध

वर्ष-8 अंक-10 (कुल अंक 94) दिसम्बर 2016
R.N.I. M.P.HIN/2009/29572 ISSN-0975-4431
संपादकीय कार्यालय : 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड,
भोपाल-462041 (म.प्र.) दूरभाष : 09300279796, 09425704990
Email : naveensamajikshodh@yahoo.com
Website : www.naveensamajikshodh.com

संस्थापक प्रधान सम्पादक
स्व.डॉ.जी.सी. सक्सेना

प्रधान सम्पादक
राजेन्द्र सक्सेना

प्रबंध संपादक
अभिजीत सक्सेना

संपादक
श्रीमती सविता सक्सेना

उपसंपादक
डॉ.संजय अग्रवाल(चिकित्सक)
डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)
डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य)ग्वा.

वरिष्ठ शोध अधिकारी
डॉ. कुसुमा भारद्वाज

शोध अधिकारी
डॉ. ममता दुबे ग्वालियर
श्रीमती रितू मेहरा

ग्राफिक्स
तनवीर कुरेशी

सलाहकार संपादक
राजेश सक्सेना

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक
पो.बॉ. नं. 361, पोस्टल कोड नं. 319, सहम सुलतानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर क्षेत्र (अर्थशास्त्री)
प्रोफेसर इकोनोमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्काईलाईन, युनिवर्सिटी शारजाह यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर,
111, शेख रसीद बिल्डिंग, शेख जायद रोड, यू.ए.ई. दुबई

4. डॉ. प्रिन्स डेविड दंत चिकित्सक
11, ओलब्रेस्ट एवेन्यू, माउंट रास्किल, ओकलैण्ड 1041, न्यूजीलैण्ड

5. श्री सजग चतुर्वेदी,
स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी थाईलैण्ड

6. श्रीमती ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

7. श्रीमती प्रतिभा, कनाडा

8. डॉ. उमेश रस्तोगी, लंदन

सहयोग राशि : देश में : साधारण अंक 100/-वार्षिक : 1000/-
आजीवन सदस्यता: 10000/
विदेशों में : साधारण अंक : 18 डॉलर, वार्षिक : 180 डॉलर
सारे भुगतान (मनीआर्डर/चैक/ड्रॉफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से किए जावेंगे। चैक से भुगतान करने पर रू.30-अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक-राजेन्द्र सक्सेना द्वारा एम.आई आफसेट वर्क्स, 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल-6 द्वारा मुद्रित एवं 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड, भोपाल-462023 (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक-श्रीमती सविता सक्सेना

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार है। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं हे। हमारा सपादक मंडल पूर्णत अवैतनिक एवं अव्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में

1. औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां का महत्व और.....डॉ. फातिमा खांन - 6
2. भारत में महिला सशक्तिकरण.....अर्चना श्रीवास्तव - 14
3. ग्राम पंचायत एवं जल प्रबंधन.....डॉ. डी.एन. यादव - 25
4. बाल अपराध एक अध्ययन.....श्रीमती गीता शुक्ला - 32
5. पर्यावरण संकट एक अध्ययन.....नीलिमा चटर्जी - 42
6. भारतीय महिलाओं की नेतृत्व में भागीदारी.....नीलिमा चटर्जी - 49
7. Education Policy In India.....Dr. Rajshri Tiwari - 55
8. Parental Attitude Towards Girls Education.....Nilofer Jan - 65
9. Role of Ali Tantawi in the.....Syed Mohd Amin Shah Bukhari - 73

सलाहकार मंडल

- **प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान,** पूर्व कुलपति, बरकतुल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय, भोपाल–म.प्र.। फोन : 0755–2424777
- **प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना,** पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.। फोन : 0755–2628055
- **प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव,**
  पूर्व कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर–म.प्र.।
- **प्रो. डॉ. राजपाल सिंह,** सदस्य, सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा) भारत सरकार। मो. 9425028689
- **डॉ. के. के. तिवारी**
  शिक्षाविद्, राज्यपाल अधिकृत ई.सी.सदस्य डीएवीवी इंदौर मो. **9893014415**
- **वरिष्ठ वकील श्री खलीलउल्लाह खान,** पूर्व चेयरमेन, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल–म.प्र.। मो. 9826225266
- **श्री आई.बी. सिंह,** पूर्व निदेशक, ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट–म.प्र.। मो. 9329138005
- **डॉ. ललित श्रीवास्तव, नेत्र विशेषज्ञ,** अध्यक्ष, मध्यप्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन, भोपाल–म.प्र.। मो. 9827007500

संपादक मंडल

- **प्रो. संजय एस. अग्रवाल,** विभागाध्यक्ष, पीपुल्स मेडीकल कालेज
- **प्रो. अलका डेविड,** विभागाध्यक्ष,गृह विज्ञान, शा.सरोजनी नायडू कालेज,
- **प्रो. अरविंद चौहान,** बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।
- **प्रो.आर.शंकर,** विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, तिरूचरापल्ली–तमिलनाडु (620024)।
- **प्रो.परवेज अहमद अब्बासी,** विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय सूरत गुजरात,।
- **डॉ0 कुमारी चित्रा शर्मा** संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय, भोपाल
- **प्रो.डॉ. कामिनी जैन,** प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, पिपरिया
- **प्रो. आभा चौहान,** विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जे.एण्ड के.।
- **डॉ. वंदना बक्शी,** सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- **डॉ. दिनेश परमार,** अनुवांशिकी विभाग, ब.वि., भोपाल।
- **डॉ. सुमंगला पटेरिया,** सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग। एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल
- **डॉ. आरती श्रीवास्वत,** सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय कॉलेज नसरूल्लागंज।
- **डॉ.जितेन्द्र कुमार,** एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी आफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, जी.जी.डी. एस.डी. (पीजी) कालेज, पलवल।
- **डॉ. कुसुमा भारद्वाज,** स.प्रा.,एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- **डॉ. विपिन व्यास,** व्याख्याता, लिमनोलॉजी, ब.वि., भोपाल।
- **श्री अजय बिसारिया,**व्याख्याता, हिंदी विभाग, अ.मु.वि.,अलीगढ़–उ.प्र.।
- **डॉ. संदीप कुमार मल्होत्रा,** विभागाध्यक्ष गणित शा. संजय गांधी स्मृति स्नाकोत्तर, महाविद्यालय, गंजबासोदा म.प्र.
- **डॉ. विश्वनाथ मिश्रा,** पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरन पी.जी. कालेज, लखनऊ
- **इंजि. रोहन गुप्ता,** एम–2/5, बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल
- **डॉ. अमित कुल्हार,** जिला पंचायत भोपाल
- **मो. अनवर** संवाददाता दैनिक पत्रिका भोपाल

सम्पादकीय

आयकर विभाग और पुलिस की छापेमारी में पुराने के साथ नए नोटों की बरामदगी का सिलसिला सरकार के इस दावे की पोल खोलने वाला है कि नोटबंदी के चलते बड़े नोटों की शक्ल में मौजूद काला धन कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। दरअसल सरकार का यह दावा उसी समय कमजोर पड़ गया था जब वह काले धन वालों को एक और मौका देने के लिए आयकर कानून में संशोधन लेकर आ गई थी। सरकार को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा, क्योंकि उसे यह आशंका थी कि काले धन को बड़े पैमाने पर नष्ट करने का काम किया जाएगा। ऐसा कुछ होने के बजाय बड़ी मात्र में काला धन येन-केन-प्रकारेण सफेद होता दिख रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि आयकर विभाग और पुलिस की छापेमारी में लाखों-करोड़ों रुपये के नए-पुराने नोट मिल रहे हैं, क्योंकि यह बरामदगी कुल रकम का एक मामूली हिस्सा भर जान पड़ रही है। ऐसा कोई दावा सही नहीं होगा कि आयकर विभाग अथवा पुलिस हर उस ठिकाने तक पहुंचने में सफल है जहां काला धन छिपाकर रखा गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि छापेमारी में बड़ी मात्र में दो हजार के नए नोट भी बरामद हो रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि भ्रष्ट बैंक कर्मी काले धन वालों का काम आसान करने में लगे हुए हैं। एक अनुमान के तहत अब तक करीब एक अरब रुपये के नए नोटों की बरामदगी हो चुकी है। हैरत नहीं कि भ्रष्ट बैंक कर्मियों ने इससे कई गुना अधिक राशि के नए नोट काले धन के कारोबारियों तक पहुंचाए हों। वैसे भी इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं कि भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपतियों ने भ्रष्ट बैंक अफसरों से साठगांठ कर या फिर 20-30 प्रतिशत कमीशन देकर अपने काले धन को सफेद कर लिया। इन चर्चाओं को खारिज किया जा सकता है, लेकिन इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि अनुमान से कहीं अधिक धन बैंकों में जमा हो चुका है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि काले धन का जखीरा कहां गया?1 काले धन वालों के पास बड़ी राशि में दो हजार के नए नोट पहुंचना सरकार और साथ ही आम जनता से धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं। यह शर्मनाक है कि जब आम जनता को अपनी जरूरत के दस-बीस हजार रुपये निकालने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तब संदिग्ध किस्म के लोगों के पास बीस-तीस-पचास लाख और किसी-किसी के पास तो एक-दो करोड़ से ज्यादा राशि के नए नोट मिल रहे हैं। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि भ्रष्ट बैंक अफसरों की हेराफेरी के कारण ही बड़ी संख्या में एटीएम खाली पड़े हैं और बैंकों में आवश्यकता से कहीं कम नकदी पहुंच रही है। इस छल-कपट को हर हाल में रोकना होगा, अन्यथा आम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। सरकार और साथ ही बैंकों की साख बचाए रखने के लिए भ्रष्ट बैंक कर्मियों और साथ ही काले धन के कारोबारियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो सरकार डाल-डाल और वे पात-पात दिख रहे हैं। सरकार और उसके नीति-नियंताओं को इसका अहसास होना चाहिए कि 30 दिसंबर की तिथि करीब आ गई है। जरूरी केवल यह नहीं है कि आम जनता को यह भरोसा दिलाया जाए कि जल्द हालात सामान्य होते दिखेंगे, बल्कि यह भी है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे यह आश्वासन हर हाल में पूरा होते हुए दिखे।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां का महत्व और उनके वास्तविक नाम

डॉ. फातिमा खान
सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र)
शासकीय महाविद्यालय नसरूल्लागंज, सीहोर

कुदरत के दिये गये वरदानों में पेड़–पौधों का महत्वपूण स्थान है। पेड़–पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ती ही होती बल्कि जीव जंगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं–कार्बन चक्र हो या भोजना श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक संवर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाये रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जड़ी–बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचायी बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगोपचार हेतु अमल में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद–ब–खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा–अर्चना तक की जाने लगी है जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। प्रसिध्द विद्वान चरक ने तो हरेक प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतु कई अनमोल किताबों की रचना तक कर डाली है जिसका प्रयोग आजकल मानव का कल्याण करने के लिए किया जा रहा है।

औषधीय पेड़ पौधे,जड़ी–बूटियां और उनके वानस्पतिक नाम

1. नीम – एक चिपरिचित पेड़ है जो 20 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है इसकी एक टहनी में करीब 9–12 पत्ते पाए जाते है। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं और इसका पत्ता हरा होता है

जो पक्क कर हल्का पीला हरा होता है।अक्सर ये लोगो के घरों के आस–पास देखा जाता है।

2. **तुलसी** – तुलसी एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसके फूल गुच्छेदार तथा बैंगनी रंग के होते हैं तथा इसके बीज घुठलीनुमा होते है। इसे लोग अपने आंगन में लगाते हैं ।

3 . **ब्राम्ही बेंग साग** – यह साग पानी की प्रचुरता में सालो भर हरी भरी रहने वाली छोटी लता है जो अक्सर तालाब या खेत माय किनारे पायी जाती है। इसके पत्ते गुदे के आकार (1 एवं 2–2 इंच) के होते हैं। यह हरी चटनी के रूप में आदिवासी समाज में प्रचलित है ।

4 . **ब्राम्ही** – यह अत्यंत उपयोगी एवं गुणकारी पौधा है । यह लता के रूप में जमीन में फैलता है। इसके कोमल तने 1–3 फीट लम्बी और थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ होती है। इन गांठो से जड़े निकलकर जमीन में चली जाती है। पत्ते छोटे,लम्ब,अंडाकार, चिकने, मोटे हरे रंग के तथा छोटे–छोटे होते हैं सफेद हल्के नीले गुलाबी रंग लिए फूल होते हैं। यह नमी वाले स्थान में पाए जाते हैं ।

5 .**हल्दी** – हल्दी के खेतों में तथा बगान में भी लगया जाता है। इसके पत्ते हरे रंग के दीर्घाकार होते हैं।इसका जड़ उपयोग में लाया जाता है। कच्चे हल्दी के रूप में यह सौन्दर्यवर्द्धक है।सुखे हल्दी को लोग मसले के रूप में इस्तेमाल करे हैं। हल्दी रक्तशोधक और काफ नाशक है ।

6 . **चिरायता भुईनीम** – छोटानागपुर के जगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला 1–3 फीट तथा उसकी अनेक शाखाएँ पतली–पतली होती है। इसकी पत्तियां नुकीली, भालाकर, 3–4 इंच लम्बी तथा एक से सवा इंच चौड़ी होती है। फूल छोटे हल्के गुलाबी और सफेद रंग के होते हैं यह बरसात के दिनों में पनपता है और जाड़े में फल तथा फूल लगते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है ।

7. **अडूसारू** – यह भारत के प्रायः सभी क्षेत्रो में पाया जाता है।अडूसा का पौधा यह सालों भर हरा भरा रहनेवाला झाड़ीनुमा पौधा है जो पुराना होने पर 8–10 फीट तक बढ़ सकता है।इसकी गहरे हरे रंग की पत्तियां 4–8 इंच लम्बी और 1–3 इंच चौड़ी है। शरद ऋतू के मौसम में इसके अग्र भागों के गुच्छों में हल्का गुलाबीपन लिए सफेद रंग के फूल लगते हैं।

8 . **सदाबहार** – यह एक छोटा पौधा है जो विशेष देखभाल के बिना भी रहता है।सदाबहार का पौधा चिकित्सा के क्षेत्र में इसका अपना महत्त्व है।इसकी कुछ टहनियां होती है और यह 50 सेंटी मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके फूल सफेद या बैंगनी मिश्रित गुलांबी होते हैं।यह अक्सर बगान, बलुआही क्षेत्रो, घेरों के रूप में भी लगया जाता है ।

9 . **सहिजन–मुनगा** – सहिजन एक लोकप्रिय पेड़ है।जिसकी ऊंचाई 10 मीटर या अधिक होतीसहिजन है । इसके छालों में लसलसा गोंद पाया जाता है। इसके पत्ते छोटे और गोल होते हैं तथा फूल सफेद होते हैं। इसके फूल पते और फल (जोकी) खाने में इस्तेमाल में लाये जाते है। इसके

पत्ते (लौह) आयरन के प्रमुख स्रोत हैं जो गर्भवती माताओं के लिए लाभदायक है ।

10. **हडजोरा** – हड्जोरा अमृता एक लता है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के तथा हृदयाकार होते हैं।मटर के दानो के आकार के इसके फल कच्चे में हरे हाड़जोड़ातथा पकने पर गहरे लाल रंग होते हैं।यह लता पेड़ों, चाहरदीवारी या घरों के छतों पर आसानी से फैलती है।इसके तने से पतली पतली जड़ें निकल कर लटकती है ।

11. **करीपत्ता** – करीपत्ता का पेड़ दक्षिण भारत में प्रायः सभी घरों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल करी का पौधा मुख्यता भोजन में सुगंध के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं।इसके पत्तों का सुगंध ा बहुत तेज होता है।इसकी छाल गहरे धूसर रंग के होती है इसके पत्ते अंडाकार, चमकीले और हरे रंग के होते हैं।इसके फूल सफेद होते हैं एवं गुच्छेदार होते हैं।इसके फल गहरे लाल होते हैं जो बाद में बैगनी मिश्रित कालापन लिए होता है।

12. **दूधिया घास** – यह साधरणतः खेतों, खलिहानों, मैदानों में घासों के साथ पाया जाता है।दुधि या धास इसके फूल बहुत छोटे होते हैं जो पत्तों के बीच होते हैं।यह स्वाद में कड़ुवा होता है।इसकी छोटी टहनियों जी तोड़ने पर दूध निकलता है जो लसलसा होता है ।

13. **मीठा घास** – यह बगान, खेतों के साथ पाया जाता है।इसके पत्ते छोटे होते हैं और फल छोटे–छोटे होते हैं जो राइ के दाने के बराबर देखने में लगते हैं।स्वाद में मीठा होने के कारण मीठा घास के रूप में जाना जाता है।

14. **भुई आंवला** – यह एक अत्यंत उपयोगी पौधा है जो बरसात के मौसम में यहाँ–' जनमते हैं। इस पौधे की ऊंचाई 1– 25 इंच ऊँचा तथा कई शाखाओं वाले होते हैं। पत्तियां आकार में आंवले की पत्तियों की सी होती है और निचली सतह पर छोटे छोटे गोल फल पाए जाते हैं।यह जाड़े के आरंभ होते होते पक जाते हैं और फल तथा बीज पककर झड जाते हैं और पौधे समाप्त होते हैं ।

15. **अड़हुल** – अड़हुल का फूल लोगो के घरों में लगाया जाता है।यह दो प्रकार का होता है दृ लाल और सफेद जो दवा के काम में लाया जाता है।अड़हुल का पत्ता गहरा हरा होता है।

16. **घृतकुमारी** –यह एक से ढाई फूट ऊँचा प्रसिध्द पौधा है।इसकी ढाई से चार इंच चौड़ी,नुकीली एवं कांटेदार किनारों वाली पत्तियां अत्यंत मोटी एवं गूदेदार होती है पत्तियों में हरे छिलकेके नीचे गाढ़ा, लसलसा रंगीन जेली के सामान रस भरा होता है जो दवा के रूप में उपयोग होता है ।

17. **महुआ** – महुआ का वृक्ष 40–50 फीट ऊँचा होता है। इसकी छाल कालापन लिए धूसर रंग की तथा अन्दर से लाल होती है।इसके पत्ते 5– 9 इंच चौड़े होते हैं।यह अंडाकार,आयताकार, शाखाओं के अग्र भाग पर समूह में होते हैं। महुआ के फूल सफेद रसीले और मांसल होते हैं।इसमे मधुर गंध

ा आती है। इसका पका फल मीठा तथा कच्चा में हरे रंग का तथा पकने पर पीला या नारंगी रंग का होता है ।

18. दूब घास – दूब घास 10 –40 सेंटी मीटर ऊँचा होता है।इसके पत्ते 2– 10 सेंटी मीटर भुई आवंला लम्बे होते है इसके फूल और फल सालों भर पायी जाती है।दूब घास दो प्रकार के होते हैं दृ हरा और सफेद हरी दूब को नीली या काली दूब भी कहते है

19. आंवला –इसका वृक्ष 5–10 मीटर ऊँचा होता है। आंवला स्वाद में कटु, तीखे, खट्टे, मधुर, आवंला और कसैले होते हैं। अन्य फलों की अपेक्षा आंवले मे विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। उसके फूल पत्तीओं के. नीचे गुच्छे के रूप में होती है।इनका रंग हल्का हरा तथा सुगन्धित होता है इसके छाल धूसर रंग के होते हैं। इसके छोटे पत्ते 10 से 13 सेंटी मीटर लम्बे टहनियों के सहारे लगा रहता है इसके फल फरवरी मार्च में पाक कर तैयार हो जाते हैं जो हरापन लिए पिला रहता है ।

20. पीपल – पीपल विशाल वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएँ होती है।इनके पत्ते गहरे हरे रंग के हृदय आकार होती है।इनके जड़ , फल , छाल , जटा, दूध सभी उपयोग में लाये जाते हैं।हमारे भारत में पीपल का धार्मिक महत्त्व है।

21. लाजवंती लजौली – लाजवंती नमी वाले स्थानों में जायदा पायी जाती है इसके छोटे पौध ो में अनेक शाखाएं होती है।इनके पत्ते को छूने पर ये सिकुड़ कर आपस में सट जाती है।इस कारण इसी लजौली नाम से जाना जाता है इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं ।

22. करेला – यह साधारणतया व्यव्हार में लायी जाने वाली उपयोगी हरी सब्जी है जो लतेदार होती है।इसका रंग गहरा हरा तथा बीज सफेद होता है। पकने पर फल का रंग पिला तथा बीज लाल होता है।यह स्वाद में कड़वा होता है ।

23. पिपली – साधारणतया ये गरम मसले की सामग्री के रूप में जानी जाती है।पिपली की कोमल लताएँ 1–2 मीटर जमीन पर फैलती है ये गहरे हरे रंग के चिकने पत्ते 2–3 इंच लम्बे एवं 1–3 चौड़े हृदयाकार के होते हैं।इसके कच्चे फल पीले होते हैं तथा पकने पर गहरा हरा फिर काला हो जाता है।इसके फलों को ही पिपली कहते हैं ।

24. अमरुद – अमरुद एक फलदार वृक्ष है।यह साधारणतया लोगों के घर के आंगन में पाया जाता है इसका फल कच्चा में हरा और पकने पर पिला हो जाता है। यह सफेद और गुलाबी गर्भ वाले होते हैं।इसके फूल सफेद रंग के होते हैं।यह मीठा कसैला , शीतल स्वादिस्ट फल है जो आसानी से उपलब्ध होता है ।

25. कंटकारी रेंगनी – यह परती जमीन में पाए जाने वाला कांटेदार हलकी हरी जड़ी है।इसके

कांटेदार पौधे 5– 10 सेंटी मीटर लम्बी होती है।इसके फूल बैंगनी रंग के पाए जाते हैं।इसके फल के भीतर असंख्य बीज पाए जाते हैं।

26. जामुन – जामुन एक उत्तम फल है। गर्मी के दिनों में जैसा आम का महत्व है वैसे ही इसका महत्व गर्मी के अंत मिएँ तथा बरसात में होता है।यह स्वाद में मीठा कुछ खट्टा कुछ कसैले होते हैं। जामुन कर रंग गहरा बैंगनी होता है ।

27. इमली – इमली एक बड़ा वृक्ष है जिसके पत्ते समूह में पाए जाते हैं जो आंवले के पत्ते की तरह छोटे होते हैं। इसका फल पकने पर हल्का भूरा होता है यह स्वाद में खट्टा होता है

28. अर्जुन – यह असंख्य शाखाओं वाला लम्बा वृक्ष है।इसके पत्तें एकदूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं।इसके फूल समूह में पाए जाते हैं। तथा फल गुठलीदार होता है जिसमें पांच और से पंख की तरह घेरे होते हैं ।

29. बहेड़ा – बहेडा का पेड़ 15– 125 फीट ऊँचा पाया जाता है, इसका ताना गोल एवं आकार में लम्बा , 8 –35 फीट तक के घेरे वाला होता है।इसकी छाल तोड़ी कालिमा उक्त भूरी और खुरदुरी होती है।इसके फल, फूल, बीज, वृक्ष की छाल , पंत्ते तथा लकड़ी सभी दवा के काम में आते हैं ।

30. हर्रे – यह एक बड़ा वृक्ष है।इसके फल कच्चे में हरे तथा पकने पर पीले धूमिल रंग के होते हैं।इसके फल शीत काल में लगते हैं जिसे जनवरी अप्रैल में जमा किया जाता है।इसके छाल भूरे रंग के होते हैं।इसके फूल छोटे, पीताभ तथा फल 1–2 इंच लम्बे , अंडाकार होते हैं ।

31. मेथी – यह लोकप्रिय भाजिओं में से एक है। इनके गुणों के कारण इसका उपयोग प्रत्यक घर में होता है।इस पौधे की ऊंचाई 1–1) फीट होती है , बिना शाखाओं के।मेथी की भाजी तीखी, कडवी, और वायुनाशक है।छोटानागपुर में इसे सगों के साथ मिला कर खाने में इस्तेमाल किया जाता है ।इसमें लौह तत्त्व की मात्रा अधिक होती है ।

32. सिन्दुआर निर्गुण्डी – यह झड़ी दार पौधा जो कभी कभी छोटा पेड़ का रूप ले लेता है।इसके पत्ते 5 –10 सेंटीमीटर लम्बी तथा छाल धूसर रंग का होता है इसके फूल बहुत छोटे और नीलेपन लिए बैंगनी रंग के होते हैं जो गुच्छे दार ह्येते हैं इसके फाल गुठलीदार होते हैं जो 6 गिलीमीटर डाया मीटर से कम होते हैं और ये पकने पर काले रंग के होते हैं ।

33. चरैयगोडवा – इसका पेड़ 10 से 18 मीटर ऊँचा होता है इसके तीन पत्ते एक साथ पाए जाते हैं। जो देखने में चिड़िया के पर की तरह लगते हैं इसलिए इसे चरैयगोडवा कहते हैं। इसके फूल सफेद है। पीलापन के लिए' जो अप्रैल जून माह में मिलते हैं। इसके फल अगस्त–सितम्बर माह में पाए जाते हैं।

34. बैर – बैर का वृक्ष कांटेदार होता है। इसके कांटे छोटे छोटे होते हैं तथा इसकी पतियाँ गोलाकार तथा गहरे हरे रंग की होती है।इसके फल कच्चे में हरे रंग तथा पकने पर लाल होते हैं।यह स्वाद में खट्टा मीठा तथा कसैला होता है।

35. बांस – बांस साधारणतया घर के पिछवाड़े में पाया जाता है यह 30 –50 मीटर ऊँचा बढ़ता है इसके पत्ते लम्बे और नुकीले होते हैं बांस में थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठे होती है

36. पुनर्नवा खपरा साग – यह आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण वनौषधि है। पुनर्नवा के जमीन पर फैलने वाले छोटी लताएँ जैसे पौधे बरसात में परती जमीन, कूड़े के ढेरों, सड़क के किनारे, जहाँ तहां स्वयं उग जाते हैं। गर्मीयों में यह प्रायः सुख जाते हैं पर वर्षा में पुनरू इसकी जड़ से नयी शाखाएँ निकलती है। पुनर्नवा का पौधा अनेक वर्षो तक जीवित रहता है। पुनर्नवा की लता नुमा हल्के लाल एवं काली शाखाएं 5–7 फीट तक लम्बी जो जाती है पुनर्नवा की पत्तियां 1–1 (इंच लम्बी = – 1 इंच चौड़ी, मोटी (मांसल) और लालिमा लिए हरे रंग की होती है। फूल छोटे छोटे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं।पुनर्नवा के पत्ते और कोमल शाख़ाओं को हरे साग के रूप में खाया जाता है। इसे स्थानीय लोग खपरा साग के रूप से जानते हैं ।

37. सेमल – सेमल के पेड़ बडे मोटे तथा वृक्ष में कांटे उगे होते हैं इसकी शाखाओं में 5– 7 के समूह में पत्ते होते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान इसमें फूल आते हैं।जिसकी पंकुधियाँ बड़ी तथा इनका रंग लाल होता है बैशाख में फल आते हैं जिनके सूखने पर रूई और बीज निकलते है ।

38. पलाश – पलाश के पेड़ 5 फीट से लेकर 15–20 फीट या ज्यादा ऊँचे भी होते हैं।इसके एक ही डंठल में तीन पत्ते एक साथ होते हैं। बसंत ऋतू में इसमे केसरिया लाल राग के फूल लगते हैं तब पूरा वृक्ष दूर से लाल दिखाई देता है।

39. पत्थरचूर – यह 1 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके पत्ते अन्य पत्तों की अपेक्षा कुछ मोटे चिकने और हर्दयाकार होती है।इसके फूल सफेद या हल्के बैंगनी रंग के पाए जाते हैं ।

40. सरसों – सरसों खेतों और बागानों मे विस्तृत रूप से खेती किया जाने वाला पौधा है।इस पौधे की ऊंचाई 1.5 मीटर तक होती है।इसके पते के आकार नुकिलेदार होते हैं। तथा फूल पीले रंग में तथा बीज को तेल निकालने के लिए इस्तमाल में लाते हैं ।

41. चाकोड़ – चाकोड़ स्थानीय लोगो में चकंडा के नाम से प्रसिद्ध है।इसके पत्ते अंडाकार होते हैं। तथा फूल छोटे और पीले रंग के होते हैं।इसके फल (बीजचोल) लम्बे होते है।चाकोड़ 1 मीटर तक ऊँचा होता है।यह सड़क किनारे, परती जमीन में पाया जाता है।

42. मालकांगनी कुजरी – यह झाड़ीनुमा लातेय्दर और छोटे टहनियों के साथ पाया जाता है

जो व्यास में (डायमीटर) 23 सेंटी मीटर और तक ऊंचाई 18 मीटर होती है। इसके पत्ते दीर्घाकार,अंडाकार और दन्तादेदार' होते हैं। इसके फूल हरापन लिए पिला होता है।जिसका व्यास 3.8 मिली मीटर होता है। इसके बीज पूर्णतया नारंगी लाल बीजचोल के साथ लगे होते हैं ।

43. दालचीनी – यह मधुर, कडवी सुघंधित होती है।इस वृक्ष की छाल उपयोगी होती है।इसे गर्म मसले के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

44. शतावर – यह बहुत खुबसूरत झाड़ीनुमा पौधा है।जिसे लोग सजाने के कम में भी लाते हैं।इसके पत्ते पतले , नुकिलेदार हरे–भरे होते हैं।इसके फूल देखने में बहुत छोटे दृ छोटे , सफेद रंग के सुगन्धित होते हैं।इसके फल हरे रंग के होते है जो पकने पर काले रंग के हो जाते हैं।इसकी जड़ आयुर्वेद के क्षेत्र में उपयोगी है जो इस्तेमाल में लायी जाती है ।

45. अनार – अनार झाड़ीनुमा पतली टहनियों वाला होता है। एक्स फूल लाल रंग का होता है।अनार स्वाद में मीठा , कसैलापन लिए हुए रहता है।इसके फल लाल और सेफ प्रकार के होते हैं। एक्से फूल फल तथा छिलका उपयोग में लाये जाते हैं ।

46. अशोक – यह सदाबहार वृक्ष है जो अत्यंत उपयोगी है। इसके पते सीधे लम्बे और गहरे रंग के होते हैं।इसे लोग शोभा बदने के लिए लगते है।इसके छाल धूसर रंग,स्पर्श करनी में कुर्दारी तथा अन्दर लाल रंग की होती है।यह स्वाद में कडवा , कसैला , पचने में हल्का रुखा और शीतल होता है ।

47. अरण्डी एरण्ड – यह 7–10 फीट ऊँचा होता है। इसके पत्ते चौड़े तथा पांच भागों में बटे होते अरण्ड के पत्ते फूल बीज और तेल उपयोग में लाये जाते हैं।इसके बीजों का विषैला तत्त्व निकल कर उपयोग में लाये जाते हैं। यह दो प्रकार लाल और सफेद होते हैं ।

48. कुल्थी कुरथी – यह तीन पत्तीओं वाला पौधा होता है जिसमे सितम्बर– नवम्बर में फूल तथा अक्टूबर–दिसम्बर के बीच फल आते हैं।कुरथी कटु रस वाली,कसैली होती है।यह गर्म, मोतापनासक, और पथरी नासक है ।

49. डोरी – यह महुआ का फल है इसे तेल बनाने के काम में लाया जाता है इसकी व्याख्या आगे की गई है।

50. चिरचिटी – एक मीटर या अधिक ऊँचा होता है।इसके पत्ते अंडाकार होते हैं इसके फूल 4–6 मिलीमीटर लम्बे, सफेद्पन लिए हुए हरे रंग या बैगनी रंग के होते हैं ।

51. बबूल – बबूल का वृक्ष मध्यमाकार , कांटे दार होता है।इसके पत्ते गोलाकार और छोटे छोटे होते हैं।पत्तों में भी कांटे होते है इसके फूल छोटे गोलाकार और पीले रंग के होते हैं।इसकी फलियाँ

लम्बी और कुछ मुड़ी हुई होती है। बबूल का गोंद चिकित्सा की दृष्टी से उपयोगी है।

52. कटहल – कटहल के पेड़ से सभी परिचित हैं। इसका फल बहुत बड़ा होता है। कभी–कभी इसका वजन 30 किलो से भी ज्यादा होता है।स्थानीय लोगो में सब्जी और फल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर या उससे अधिक हो सकती है।यह एक छाया दर वृक्ष है। इसकी अनेक शाखाएँ फैली होती है ।

संदर्भ

औषधीय एवं सगंध पादप (उत्तरा कृषि प्रभा) भविष्य औषधीय खेती का

किसानों को भा रही है हर्बल खेती (बीबीसी हिन्दी)

LIST OF 120 INDIAN MEDICINAL PLANTS ¼Encyclopedia of Indian Medicinal Plants½

LIST OF 1000 INDIAN MEDICINAL PLANTS ¼Encyclopedia of Indian Medicinal Plants½

http://hi.vikaspedia.in

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारत में महिला सशक्तिकरण

अर्चना श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक समाजशस्त्र विभाग
शा. महाविद्यालय नसरूल्लागंज जिला सीहोर

महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर पर जानकारी प्राप्त होती है। प्रयोक्ष्ता जीवन, अस्तित्व और स्वतंत्रता के अधिकार की तरह एक बच्चे के विभिन्न अधिकारों के बारे में पता लगा सकते हैं, खेलने और अवकाश, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार, माता पिता की जिम्मेदारी के बारे में सूचना आदि, विकलांग बच्चों की सुरक्षा आदि के लिए भी सूचना प्रदान की गई है।

दुर्गा, शक्ति का रूप हैं। इतनी शक्तिमान कि भगवान राम ने भी लंका पर आक्रमण के समय, दुर्गा की आराधना की। उनकी कथा कुछ ऐसी है कि जब दैवता, महिषासुर से संग्राम में हार गये और उनका ऐश्वर्य, श्री और स्वर्ग सब छिन गया तब वे दीन–हीन दशा में वे भगवान के पास पहुँचे। भगवान के सुझाव पर सबने अपनी सभी शक्तियॉं (शस्त्र) एक स्थान पर रखीं। शक्ति के सामूहिक एकीकरण से दुर्गा उत्पन्न हुई। पुराणों में उसका वर्णन है दृ उसके अनेक सिर हैं, अनेक हाथ हैं। प्रत्येक हाथ में वह अस्त्र–शस्त्र धारण किए हैं। सिंह, जो साहस का प्रतीक है, उसका वाहन है। ऐसी शक्ति की देवी ने महिषासुर का वध किया। वे महिषासुर मर्दनी कहलायीं।

मेरे विचार से यह कथा संघटन की एकता का महत्व बताने के लिये बतायी गयी है। शक्ति, संघटन की एकता में ही है। हमारी कथाओं में देवी दुर्गा का वर्णन है कि उनके सहस्त्र सिर और असंख्य हाथ हैं। यह वास्तव में संघटक के सहस्त्रों सिर और असंख्य हाथ हैं। साथ चलोगे तो हमेशा जीत का

सेहरा बंधेगा। देवताओं को जीत तभी मिली जब उन्होने अपनी ताकत एकजुट की।

दुर्गा, शक्तिमयी हैं, उनका सशक्तिकरण हो चुका है। लेकिन आज की महिला क्या शक्तिमयी है? क्या उसका सशक्तिकरण हो चुका है? क्या वह आज दुर्गा बन चुकी है? शायद नहीं, पर उसके पास कुछ अधिकार तो हैं, वह कुछ तो शक्तिमान हुई। यह अधिकार, यह शक्तियां उसे किसी ने दिये नहीं हैं। यह उसने खुद लड़ कर प्राप्त किये हैं। आइये नजर डाले उन किस्से कहानियों पर, उस कानून पर, उन फैसलों पर, जिन्होने महिला अधिकारों को सुदृढ़ किया और कुछ हद्द तक महिलाओं को दुर्गा का रूप दिया पर सबसे पहले कुछ बातें इस महिला दिवस के बारे में।

अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आवाहन, यह दिवस सबसे पहले सबसे पहले यह २८ फरवरी १९०९ में मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। १९१० में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन के सम्मेलन में इसे अन्तरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिलवाना था क्योंकि, उस समय अधिकर देशों में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था।

१९१७ में रुस की महिलाओं ने, महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिये हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी, अन्तरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिये। उस समय रुस में जुलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर। इन दोनो की तारीखों में कुछ अन्तर है। जुलियन कैलेंडर के मुताबिक १९१७ की फरवरी का आखरी इतवार २३ फरवरी को था जब की ग्रेगेरियन कैलैंडर के अनुसार उस दिन ८ मार्च थी। इस समय पूरी दुनिया में (यहां तक रूस में भी) ग्रेगेरियन कैलैंडर चलता है। इसी लिये ८ मार्च, महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

महिलाओं के अधिकारों की बात करते समय एक शब्द लैंगिक न्याय (ळमदकमत श्रनेजपबम) प्रयोग होता है। इस शब्द के अर्थ अलग अलग समय पर, अलग अलग देश में अलग अलग रूप में जाने जाते हैं। आइये समझें कि हमारे देश इस समय यह किस अर्थ में लिया जाता है।

लैंगिक न्याय

लैंगिक न्याय अर्थात किसी के साथ लिंग के आधार पर भेद–भाव नहीं होना चाहिये। बहुत से लोग समलैंगिक अधिकारों को भी इसके अन्दर मानते हैं। समलैगिंकों के साथ भेदभाव होता है लेकिन वह इसलिये नहीं कि उनका लिंग क्या है वह इसलिये कि वे अपने लिंग के ही लोगों में रूचि रखते हैं। मेरे विचार से, समलैंगिग अधिकारों को लैंगिक न्याय के अन्दर रखना उचित नहीं है। उनके अधिकारों को अलग से नाम देना, या अल्पसंख्यक (डपदवतपजल) या जातीय (मजीदपब) अधिकारों के अन्दर

रखना, या ळंल तपहीजे कहना ठीक होगा।

हम कुछ अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के अदिकारों पर भी विचार करें, उदाहरणार्थः

यह वह लोग हैं जो एक लिंग के होते हैं पर बर्ताव दूसरे लिंग के व्यक्तियों की तरह से करते हैं

लिंग परिवर्तितरू यह वह व्यक्ति हैं जो आपरेशन करा कर अपना लिंग परिवर्तित करवा लेते हैं। इसमें सबसे चर्चित व्यक्ति रहे रीनी रिचर्डस। ये पुरुष थे और आपरेशन करा कर महिला बन गये, पर उन्हें महिलाओं की टेनिस प्रतियोगिता में कभी भी खेलने नहीं दिया गया। उन्हें कुछ सम्मान तब मिला जब वे मार्टीना नवरोतिलोवा की कोच बनीं। मैंने इस तरह के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में सेक्स परिवर्तित पुरुष या स्त्री कि चिट्ठी पर लिखा है

मानव जाति को केवल पुरूष या स्त्रीं में ही नहीं बांटा जा सकता हैं। हम क्या हैं, कैसे हैं, यह क्रोमोसोम तय करते हैं। यह जोड़े में आते हैं। हम में क्रोमोसोम के २३ जोड़े रहते हैं। हम पुरूष हैं या स्त्री, यह २३वें जोड़े पर निर्भर करता है। महिलाओं में यह दोनों बड़े अर्थात ग्ग होते हैं पुरूषों में एक बड़ा एक छोटा यानि कि XY रहते हैं। अक्सर प्रकृति अजीब खेल खेलती है। कुछ व्यक्तियों में २३वें क्रोमोसोम जोड़े में नहीं होतेरू कभी यह तीन या केवल एक होते हैं अर्थात XXYया XYY या X या Y यह लोग पूर्ण पुरूष या स्त्री तो नहीं कहे जा सकते–शायद बीच के हैं। इसलिए इन्हें Inter&Se• कहा जाता है। संथी सुन्दराजन शायद इसी प्रकार की हैं। इसलिये दोहा एशियाई खेलो में, उनसे रजत पदक वापस ले लिया गया।

ऊपर वर्णित तीनो तरह के व्यक्तियों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। अधिकतर जगह, यह लोग हास्य के पात्र बनते हैं। इन्हें भी न्याय पाने का अधिकार है। पर अपने देश में लैंगिक न्याय का प्रयोग केवल महिलाओं के साथ न्याय के संदर्भ में किया जाता है और हम बात करेंगे महिलाओं के साथ न्याय, उनके सशक्तिकरण कीरू आज की दुर्गा की।

हमारे संविधान का अनुच्छेद १५(१), लिंग के आधार पर भेदभाव करना प्रतिबन्धित करता है पर अनुच्छेद १५ (२) महिलाओं और बच्चों के लिये अलग नियम बनाने की अनुमति देता है। यहीं कारण है कि महिलाओं और बच्चों को हमेशा वरीयता दी जा सकती है।

संविधान में ७३वें और ७४वें संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों को स्वायत्तशासी मान्यता दी गयी। इसमें यह भी बताया गया कि इन निकायों का किस किस प्रकार से गठन किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद २४३–डी और २४३–टी के अंतर्गत, इन निकायों के सदस्यों एवं उनके प्रमुखों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित की गयीं हैं। यह सच है कि इस समय इसमें चुनी महिलाओं का काम, अक्सर उनके पति ही करते हैं पर शायद एक दशक बाद यह दृश्य बदल जाये।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। हमारे देश में इसका प्रयोग उस तरह से नही किया जा रहा है जिस तरह से किया जाना चाहिये। अभी उपभोक्ताओं में और जागरूकता चाहिये। इसके अन्दर हर जिले में उपभोक्ता मंच (District Consumer Forum) का गठन किया गया है। इसमें कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है {(धारा १०(१)(सी), १६(१)(बी) और २०(१)(बी)}। परिवार न्यायालय अधिनियम के अन्दर परिवार न्यायालय का गठन किया गया है। पारिवारिक विवाद के मुकदमें इसी न्यायालय के अन्दर चलते हैं। इस अधिनियम की धारा ४(४)(बी) के अंतर्गत, न्यायालय में न्यायगण की नियुक्ति करते समय, महिलाओं को वरीयता दी गयी है।

समाज और संस्कृति में भी समय के साथ परिवर्तन होते रहते है। इनमें से एक परिवर्तन परिवार के क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा एवं व्यवसाय से संबंधित हैं। आज महिलाओं को पुरूषों के ही समान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हुए है एवं महिलाओं के लिये धनोपार्जन के नवीन क्षेत्र खुले है तथा उनको आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ करने के अनेकों अवसर भी उपलबध हुए है।

एस.सी. दुबे (1963) के अनुसार समकालीन भारतीय समाज में महिला के स्थान और उसकी भूमिका के विषय में प्रचलित मान्यताएं धीरे–धीरे बदल रही हैं। आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के बढ़ते अवसर तथा व्यावसायिक गतिशीलता एवं नये आर्थिक ढ़ांचों का उदय भी इस प्रेवृत्ति के लिए उत्तरदायी है। आज परिस्थितियों एवं नारी के संदर्भ बदल गये है, सामाजिक जीवन के मूल्य भी तीव्रता से बदलते जा रहे है। आज समाज में महिलाओं को लेकर जो परिवर्तन आया है उसका महत्वपूर्ण कारण महिलाओं का शिक्षित व कामकाजी होना हैं, इसके फलस्वरूप महिलाएं आत्मनिर्भर व स्वावलंबी हो रही है।

हमारे अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं की जीवन शैली को ज्ञात करना है, कि आधुनिक समय में भारतीय नारी अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए आज किस प्रकार संघर्षरत् है। शिक्षा का प्रसार, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक जागरूकता, आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन के फलस्वरूप विभिन्न चुनौतियों का सामना किस प्रकार से कर रही है।

शैली सहाय (1996) ने इस संदर्भ में महिलाओं में हो रहे परिवर्तनों की विस्तार से व्याख्या की है।

भारत में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कई तरह के अत्याचार एवं भेदभाव होते रहे है एवं उन्हें छुआछूत तथा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक अनुसूचित जाति के लोगों में अत्यंत पिछड़ापन, गरीबी आदि का महौल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यह वह वर्ग था जिन्हें अनेक सामाजिक अधिकारों से वंचित किया गया था।

ए.के. लाल एण्ड जी.पी. पंत (1997) के अनुसार पूर्व समय में अनुसूचित जाति को अत्यंत अछूत मानकर

सवर्ण समाज ने हमेशा इस वर्ग को सामान्य वर्ग से अलग रखा एवं अछूत माना था।

यही कारण है कि हमने सामाजिक स्तरीकरण में सबसे कमजोर समझी जानी वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं को अपने अध्ययन का आधार बनाया है इनका अध्ययन करने का उद्देश्य यही है कि हम इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगा सकते है। हमने अपने अध्ययन में 300 अनुसूचित कामकाजी महिलाओं को अध्ययन का आधार बनाया है तथा जानने का प्रयास किया है नौकरी करने के कारण उनके जीवन में क्या–क्या परिवर्तन सामने आ रहे है। हमने अपने अध्ययन में जानने का प्रयास किया कि क्या महिलाओं को वह सम्मान प्राप्त है जिसकी अपेक्षा कामकाजी महिलायें करती है।

क्या वे वर्तमान में नारी की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के पक्ष में है? क्या वे चाहती है कि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए? अध्ययन के आधार पर यह भी जानने का प्रयास किया गया कि क्या महिलाओं का नौकरी के माध्यम से आत्म निर्भर होने को महत्वपूर्ण मानती है? क्या वास्तव में महिलाएं नौकरी करके आत्म निर्भर हुई है? जानने का प्रयास किया है। महिलाओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि महिलाओं के पास उनकी सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिये कोई योजना है अथवा नही? यदि है तो किस प्रकार की योजना है तथा महिलाएं इन योजनओं का कितना लाभ उठा रही है?

कामकाजी होने के कारण क्या महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार है? महिलाओं की कार्य दशा में सुधार के लिए क्या सुझाव महिलाएं दे सकती है? क्या महिलाओं को उनके पद के अनुसार ही कार्य दिया जाना चाहिए? क्या अतिरिक्त समय में रोककर अन्य कार्य करवाया जाना उचित है? कामकाजी होने के कारण क्या उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है? क्या उन्हें अपनी आय को स्वयं व्यय करने की स्वतंत्रता है? महिलाओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि क्या उन्हें सभी सरकारी नीतियों से संबंधित जानकारी है अथवा नही? इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया हैं। अपने अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि महिलाओं पर कार्य का दोहरा भार देखने में आया है परन्तु कार्य का दोहरा भार होने के कारण क्या महिलाएं कार्य के घंटे कम करवाना चाहती है? क्या महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी है? यदि है तो इन योजनाओं का कितना लाँभ उठा रही है? यही अध्ययन हमने करने का प्रयास किया है।

उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध में हमारे अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

1. कमजोर वर्ग की महिलाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।

2. अनुसूचित जाति की कामकाजी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।

3. महिलाओं के कामकाजी होने के कारण इनके परिवार की संरचना में क्या–क्या परिवर्तन आये है इनका अध्ययन करना।

4. शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त होने के कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आयें हैं इससे संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण करना।

5. कार्यशील होने के कारण तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित प्रश्नो का अध्ययन करना।

6. अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रगति व विकास के अनेक अवसर प्राप्त हुए एवं इन्होने इनका पूरा लाभ उठाया है अथवा नही? इस प्रश्न का अध्ययन करना।

7. सरकारी प्रयासों द्वारा महिलाओं के हितार्थ/कल्याणार्थ अनेक योजनाएं तथा विधान बनाकर किस प्रकार इनकी स्थिति को सशक्त व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस संभावना पर महिलाओं के विचारों का अध्ययन करना।

8. महिलाओं की सामाजिक स्थिति, परिवार में निर्णय लेने की भूमिका तथा आधुनिकता से संबंधित दृष्टिकोण आदि का अध्ययन करना।

9. सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का महिलाएं कितना लाभ उठा पा रही है इसका अध्ययन करना।

पूर्व में किये गये अध्ययनों की समीक्षा

कामकाजी महिलाओं पर अनेकों अध्ययन हुए है जिनमें टी.वी. कार्मिक, प्रमिला कपूर, सी.ए. हाट, राजमोहिनी सेठी एवं एस.गिरअप्पा द्वारा किये गये अध्ययन महत्वपूर्ण है तथा इन अध्ययनों के आधार पर यह तथ्य सामने आये है कि रोजगार करने के कारण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है तथा आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ हुई ही है, निर्णय लेने की क्षमता के साथ ही उन्हें समाज में सम्मान भी प्राप्त हुआ है।

महिलाओं का मानना है कि जो नौकरी पेशा या कामकाजी महिलाएं है जो परिवार को आर्थिक मदद दे रही है उन्हें कुछ सीमा तक ही सम्मान प्राप्त हुआ है। पढ़ी लिखी होने तथा अपने पैरों पर खडी होने, आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के बाद भी इन्हें वह सम्मान प्राप्त नही है जो होना चाहिए था, जिसकी ये आशा करती है। इनका प्रतिशत सर्वाधिक अर्थात् 79.67 प्रतिशत है किन्तु कई बार महिलाओं को वह सम्मान नही मिलता जो कामकाजी महिलाओं को मिलना चाहिए इनका कारण है, समुदाय तथा परिवार में कुछ लोग महिलाओं का नौकरी करना उचित नही समझते है, ऐसे लोगो की नजर में

कामकाजी महिलाओं का कोई सम्मान नही होता तथा इनका प्रतिशत 14.00 प्रतिशत है। उपर्युक्त तालिकानुसार 19 अर्थात् 6.33 प्रतिशत महिलाएं स्वीकार करती है कि कामकाजी होने के कारण उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है तथा ये महिलाएं घर तथा कार्यालय दोनो ही जगह अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है, एवं परिवार को आर्थिक मदद दे रही है।

यह तथ्य सामने आया कि अधिकांश महिलाएं अर्थात् 79.67: महिलाओं के पास आर्थिक उन्नति के लिए योजनाएं नही है किन्तु 61 अर्थात् 20.33: महिलाओं का कहना है कि उनके पास महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिये योजनाएं हैं जैसे कि जिन महिलाओं के पति नही है उनके बच्चों को मुत शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे भी शिक्षित होकर आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सकें। महिलाओं द्वारा परिवार में लिये गये निर्णयों को महत्त्व दिया जाना चाहिये तथा महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिये। इससे संबंधित कानून बनाया जाय ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सके।

24 महिलाओं का कहना है कि कुछ सीमा तक उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है अर्थात् अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वे स्वयं पर खर्च कर पाती है तथा अधिकांश पैसा परिवार के अन्य सदस्यों के अनुसार व्यय करना पड़ता है इनका प्रतिशत 8.00: है किन्तु 271 अर्थात् 90.33: महिलाओं का कहना है कि नौकरी करने के कारण वे जो भी कमाती है उन्हें स्वयं पर खर्च करने का अधिकार रखती है तथा जैसा चाहे स्वयं पर या मायके वालों पर खर्च कर सकती है, परिवार वालों की ओर से कोई दबाव नही होता वे अपने वेतन खर्च करने में स्वतंत्र है, उपर्युक्त तालिकानुसार सर्वाधिक संख्या 271 अर्थात् 90.33: महिलाओं की है जिनका कहना है कि उन्हें अपनी आय को खर्च करने की पूरी स्वतंत्रता है अर्थात् वे अपनी आय जैसी चाहे वैसी खर्च कर सकती है उन्हें परिवार वालों या उनके पति की ओर से कोई दबाव नही होता।

0.67 प्रतिशत महिलाओं ने कहा जो कार्यालयीन समय है वह ठीक है वे उससे संतुष्ट है। किन्तु तालिकानुसार 146 अर्थात् 48.67: महिलाओं ने कहा कि कुछ सीमा तक कार्य के घंटे कम होना चाहिए क्योंकि महिलाओं का कार्यालय के अलावा परिवार के कार्य भी देखने हाते है, घर की जिम्मेदारियां भी होती है जिन्हें पूर्ण करना भी महिला का प्रमुख दायित्व है अतः महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। कार्य के घंटे कुछ सीमा तक कम होने चाहिए।

निष्कर्ष :

हमने अध्ययन में अनुसूचित जाति की 300 कामकाजी महिलाओं का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास किया कि नौकरी करने के कारण कामकाजी महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है

तथा कैसे वे आज आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी हो रही है वे नौकरी करने के कारण किस प्रकार से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है तथा समाज तथा परिवार में सम्मान प्राप्त कर रही है।

प्रमिला कपूर (1970) अपने ने भी अध्ययन में बताया है कि सिर्फ आर्थिक लाभ की वजह से महिलायें नौकरी नही करती बल्कि इसके पीछे अन्य दूसरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी है– जैसे अपनी प्रतिभा का सद–उपयोग करना, उच्च स्थिति प्राप्त करना तथा आर्थिक स्वावलंबन आदि। इन्होनें अपने अध्ययन में बताया है कि नौकरी के कारण शिक्षित महिलाओं के दैनिक जीवन में जो परिवर्तन हुए है उसके साथ ही वे पारिवारिक जीवन में किस सीमा तक सामंजस्य बनाये रखने में सफल रही है।

हमने अपने अध्ययन में कामकाजी महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। क्या कामकाजी होने के कारण महिलाओं को समाज में सम्मान प्राप्त है, इस संदर्भ में 19 महिलाओं अर्थात् 6.33: महिलाओं ने कहा कि उन्हें नौकरीवश सम्मान की नजर से देखा जाता है, क्योंकि वे पढ़ी–लिखी तथा आर्थिक दृष्टि से सक्षम है किन्तु 42 अर्थात् 14.00: महिलाओं ने कहा कि उन्हें वह सम्मान प्राप्त नही है जिनकी वे अपेक्षा रखती है।

क्या कामकाजी होने के कारण क्या वे अपनी स्थिति पुरूषों के समान चाहती है अथवा उनका दर्जा पुरूषों के समान होना चाहिए? कुल 100: अर्थात् 300 महिलाओं ने कहा कि वर्तमान में महिलाऐं भी शिक्षित होकर नौकरी कर अपने पैरों पर खड़ी है, आत्मनिर्भर होती जा रही है तथा कार्यालय के जिम्मेदारी उठाने के साथ परिवार तथा परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी उठा रही है आज जो भूमिका पुरूषों की है, वहीं भूमिका आज महिलाओं की भी है अतः महिलाओं को भी पुरूषों के समान ही बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए।

महिलाओं से पूछने पर कि क्या आप महिलाओं का नौकरी के माध्यम से आत्मनिर्भर होना उचित समझती है? कुल 100: अर्थात् 300 महिलाओं ने कहा कि महिलाएं आज नौकरी करने के कारण आत्मनिर्भर हुई है आज वे पैसों के लिए किसी पर निर्भर नही हैं आज आर्थिक दृष्टि से सक्षम है तथा समाज में सम्मानीय स्थिति भी प्राप्त हुई है। सभी महिलाओं का यह मत रहा है कि महिलाएं नौकरी कर आत्मनिर्भर हो।

महिलाओं से यह प्रश्न किये जाने पर कि क्या आपके पास महिलाओं की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए कोई योजना है? कुल 300 में से 239 अर्थात् 79.67: महिलाओं ने अज्ञानता बताई तथा 20.33: अर्थात् 61 महिलाओं ने विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी को बताया।

महिलाओं से यह प्रश्न करने पर कि क्या उनके पास महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए कोई

योजना है? कुल तालिकानुसार 239 अर्थात् 79.67: महिलाओं ने कहा कि उन्हें योजनाओं की बहुत अधिक जानकारी नही है किन्तु 11 महिलाओं अर्थात् 3.66 महिलाओं ने कहा कि अतिरिक्त समय में अपनी योग्यतानुसार कार्य कर अपनी आय के अन्य साधन के बारे में विचार किया जा सकता है तथा आर्थिक स्थिति सुदढ़ की जा सकती है। महिलाओं ने यह बात भी कही कि जिन महिलाओं के पति नही है उनके बच्चों को मुत शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी महिलाओं का प्रतिशत 1.00: है। कुल 6 महिलाओं अर्थात् 2.00: महिलाओं ने यह भी कहा कि महिलाओं का वेतन अधिक होना चाहिए ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बना सकें।

महिलाओं से यह प्रश्न करने पर कि महिलाओं का कार्य की दशा में सुधार के लिये वे क्या सुझाव दे सकती है? 220 अर्थात् 73.33: महिलाओं ने कहा कि कार्यालय में महिलाएं जिन पदों पर पदस्थ है तथा जिस कार्य को वे अपनी योग्यतानुसार कर सकती है वे ही कार्य महिलाओं को दिये जाने चाहिये। कार्यालय में कुल 80 अर्थात् 26.67: महिलाओं ने कहा कि कार्यालय में अतिरिक्त समय रोककर अन्य कार्य नही करवाना चाहिये।

महिलाओं से प्रश्न किये जाने पर कि कामकाजी होने के कारण क्या उनको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है? अनुसूचित जाति की 300 महिलाओं में से 5 अर्थात् 1.67: महिलाओं ने कहा कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नही है तथा उनका उनकी आय पर कोई अधिकार नही है। 24 महिलाओं अर्थात् 8.00: महिलाओं ने कहा कि वे कुछ सीमा तक वे स्वतंत्र है, अर्थात् आय का कुछ हिस्सा वे स्वयं पर खर्च कर पाती है तथा 271 अर्थात् 90.33: महिलाओं ने कहा कि उनकी आय पर उनका पूरा अधिकार रहता है, तथा महिलाओं ने कहा कि उन्हें आर्थिक वतंत्रता प्राप्त है, वे अपनी मर्जी से अपना पैसा स्वयं खर्च करती है, ऐसी महिलाओं की संख्या सर्वाधिक अर्थात् 271 है अतः हम कह सकते है कि सर्वाधिक संख्या ऐसी महिलाओं की है जो कामकाजी होने के कारण आर्थिक रूप से स्वतंत्र है।

महिलाओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि कामकाजी होने से उनकी सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी में वृद्धि हुई है? कुल 232 अर्थात् 77.33: महिलाओं ने नकारात्मक में जवाब दिया तथा 66 अर्थात् 22.00: महिलाओं ने स्वीकारा कि सरकारी नीतियों में वृद्धि हुई है।

कामकाजी महिलाओं से यह पूछने पर कि क्या आप संसद एवं विधान सभा में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है? अध्ययन में 198 अर्थात् 66.00: महिलाओं ने आरक्षण का पक्ष लिया तथा 34.00: महिलाओं ने कहा कि कुछ सीमा तक ही आरक्षण मिलना चाहिए।

महिलाओं पर प्रश्न करने पर कि क्या कार्य का दोहरा भार होने के कारण कार्यालयीन कार्य के घंटे कम होना चाहिए है? सिर्फ 2 अर्थात् 0.67: महिलाओं ने ही कहा कि जो कार्यालय का समय है वह

ठीक है उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नही है, किन्तु 146 अर्थात् 48.67: ऐसी महिलाओं का है जो चाहती है, कि कुछ सीमा तक कार्यालयीन समय कम हो क्योकि महिलाओं को घर तथा कार्यालय में दोहरी भूमिका का निर्वाह करना होता है तथा कार्य की अधिकता रहती है। सर्वाधिक संख्या 152 अर्थात् 50.66: महिलाओं की है जो यह कहती है कि कार्य अधिक होने के कारण कार्यालयीन समय कम होना चाहिए।

महिलाओं से प्रश्न करने पर कि क्या बच्चों की बीमारी या परिक्षा के समय शासन द्वारा स्वीकृत अवकाश हेतु मांग रखे जाने पर क्या करेगी? उपर्युक्त तालिकानुसार 4 अर्थात् 1.33: महिलाऐं ही ऐसी है जो इस बात का विरोध करती है, तथा कार्यालयीन कार्य को ज्यादा महत्व देती है। उपर्युक्त तालिका में 296 अर्थात् 98.67: महिलाएं चाहती है कि ऐसे समय उन्हें अवकाश दिया जाये।

महिलाओं से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में जानने पर 237 अर्थात् 79.00: महिलाओं ने कहा कि इन योजनाओं की उन्हें कोई जानकारी नही है, किन्तु 63 अर्थात् 21.00: महिलाओं ने कहा कि उन्हें जानकारी है तथा वे इसका लाभ उठा रही है। क्योंकि सरकार अनुसूचित जाति की महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दे रही है जिसका लाभ महिलाएं नौकरी कर उठा रही है तथा आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है।

महिलाओं से यह जानने पर कि अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के अतिरिक्त यदि वे कोई जानकारी देना चाहेंगी? 254 अर्थात् 84.67: महिलाओं ने कोई जानकारी नही दी है तथा 46 महिलाओं ने अपने कुछ विचार रखें हैं। जिन महिलाओं ने जानकारी दी उन्होनें कहा कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है उनके बच्चों को मुत शिक्षा दी जाये महिलाओं को भी परिवार में निर्णय लेने के अधिकार दिये जाने चाहिए। महिलाओं को सम्मान दिया जाये इस संबंध में कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिये। महिलाओं को रोककर कार्यालय में अतिरिक्त कार्य करवाना नही चाहिये। जाति के आधार पर तथा महिला होने के नाते भेदभाव नही किया जाना चाहिए। चावला, बी.आर. (1981) ने महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तन का उल्लेख किया है।

उपर्युक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि वर्णित तथ्यों के आधार पर पहले की तुलना में महिलाओं को स्थिति में परिवर्तन आया है। आज महिलाओं की सामाजिक स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तथा शिक्षित होने एवं नौकरी करने के कारण महिलाओं के समाज एवं परिवार में सम्मान में वृद्धि संभव हो सकी है। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रही है एवं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होकर अपनी तथा परिवार की कुछ नवीन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करने लगी है।

संदर्भ ग्रन्थ :

भीमराव अम्बेडकर (2003) सम्पूर्ण वाड्मय (खण्ड–13), अम्बेडकर प्रतिष्ठान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

चावला, बी.आर. (1981) वूमन एण्ड सोशल चेंज इन इण्डिया, हेरिटेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

दुबे, एस.सी. (1963) मेन एण्ड वूमेन रोल इन इण्डिया, वूमेन इन द व्यू एरिया, पैरिस यूनेस्को,

कपूर प्रमिला (1970) मैरिज एण्ड वर्कींग वूमन इन इण्डिया, विकास पब्लिकेशन, दिल्ली.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

ग्राम पंचायत एवं जल प्रबंधन

डॉ. डी.एन. यादव
सहायक प्राध्यापक समाजशस्त्र विभाग
शा. महाविद्यालय नसरूल्लागंज जिला सीहोर

वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहते थे। उत्तर वैदिक काल में भी यह होता था जिसके माध्यम से राजा ग्राम पर शासन करता था। बौद्धकालीन ग्रामपरिषद् में ग्राम वृद्ध सम्मिलित होते थे। इनके प्रमुख को ग्रामभोजक कहते थे। परिषद् अथवा पंचायत ग्राम की भूमि की व्यवस्था करती थी तथा ग्राम में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में ग्रामभोजक की सहायता करती थी। जनहित के अन्य कार्यों का संपादन भी वही करती थी। स्मृति ग्रंथों में भी पंचायत का उल्लेख है। कौटिल्य ने ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है। अर्थशास्त्र का ग्रामिक ग्राम का प्रमुख होता था जिसे कितने ही अधिकार प्राप्त थे। अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने में वह ग्रामवासियों की सहायता लेता था। सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों में भी ग्रामवासियों का सहयोग वांछनीय था। ग्राम की एक सार्वजनिक निधि भी होती थी जिसमें जुर्माने, दंड आदि से धन आता था। प्रकार ग्रामिक और ग्रामपंचायत के अधिकार और कर्तव्य सम्मिलित थे जिनकी अवहेलना दंडनीय थी। गुप्तकाल में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई था जिसके प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। वह पंचमंडल अथवा पंचायत की सहायता से ग्राम का शासन चलाता था। ग्रामवृद्ध इस पंचायत के सदस्य होते थे। हर्ष ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया। उसके समय में राज्य भुक्ति (प्रांत), विषय (जिला) और ग्राम में विभक्त था। हर्ष के मधुबन शिलालेख में सोमकुंडका ग्राम का उल्लेख है जो कुंडधानी विषय और अहिछत्र भुक्ति के अंतर्गत था। ग्रामप्रमुख को ग्रामिक कहते थे।

नवीं और दसवीं शताब्दी के चोल और उत्तर मल्लूर शिलालेखों से पता चलता है कि दक्षिण में भी पंचायत व्यवस्था थी। ग्राम्य स्वशासन का विकास चोल शासन की मुख्य विशेषता थी। इन साम्य शासन इकाइयों को

कुर्रम कहते थे, जिनमें कई ग्राम सम्मिलित होते थे। कुर्रम एक स्वायत्तशासी इकाई थी। शासनसत्ता एक महासभा में निहित होती थी जिले ग्राम के लोग चुनते थे सभा अपनी समितियों के माध्यम से शासन का काम चलाती थी। इस प्रकार की आठ समितियाँ थीं जो जनहित के विभिन्न कार्यों को करने के अतिरिक्त शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थीं। ये न्याय संबंधी कार्य भी करती थीं। ग्राम पूरी तरह स्वायत्तशासी था और इस प्रकार केंद्रीय शासन अनेक दायित्वों से मुक्त रहता था। मुस्लिम और मराठा कालों में भी किसी न किसी प्रकार की पंचायत व्यवस्था चलती रही और प्रत्येक ग्राम अपने में स्वावलंबी बना रहा।

अंग्रेजी शासनकाल में पंचायत-व्यवस्था को सबसे अधिक धक्का पहुँचा और वह यह व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। फिर भी ग्रामों के सामाजिक जीवन में पंचायतें बनी रहीं। प्रत्येक जाति अथवा वर्ग की अपनी अलग-अलग पंचायतें थीं जो उसके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थीं और पंचायत की व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करनेवाले को कठोर दंड दिया जाता था। शासन की ओर से इन पंचायतों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। आरंभ से ही अंग्रेजों की नीति यह रही कि शासन का काम, यथासंभव, अधिकाधिक राज्य कर्मचारियों के हाथों में ही रहे। इसके परिणामस्वरूप फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना, नवीन राजस्व नीति, पुलिस व्यवस्था, गमनागमन के साधनों का विकास आदि कारणों से ग्रामों का स्वावलंबी जीवन और स्थानीय स्वायत्तता धीरे-धीरे समाप्त हो चली।

परंतु आगे चलकर अंग्रेजों ने भी यह अनुभव किया कि उनकी केंद्रीकरण की नीति से शासनभार दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जाग्रति के कारण स्वायत्तशासन की माँग भी बढ़ रही थी। अतएव उन्हें विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम उठाने को बाध्य होना पड़ा। प्रारंभ में जिला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों की स्थापना की गई। सन् 1907 के विकेंद्रीकरण संबंधी शाही कमीशन ने पंचायतों के महत्व को स्वीकर किया और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि किसी भी स्थायी संगठन की नींव, जिससे जनता का सक्रिय सहयोग प्रशासन के साथ हो, ग्रामों में ही होनी चाहिए। कमीशन ने सिफारिश की कि कुछ चुने हुए ग्रामों में, जो पारस्परिक दलबंदी और झगड़ों से मुक्त हों, पंचायतें स्थापित की जाएँ और प्रारंभ में उन्हें सीमित अधिकार दिए जाएँ। तत्कालीन भारत सरकार ने 1915 ई. में कमीशन की सिफारिशों को सिद्धांततः तो स्वीकर कर लिया परंतु व्यवहार में उनकी पूर्णतया उपेक्षा की गई। बहुत ही कम ग्रामों में पंचायतें बनी; जो बनीं, वे भी सरकार द्वारा पूरी तरह नियंत्रित थी। भारत सरकार के 1919 मे अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को स्वशासन के कुछ अधिकार दिए गए और 1920 के आसपास सभी प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए। संयुक्त प्रदेश (उत्तर प्रदेश) में 1920 के पंचायत ऐक्ट के अधीन लगभग 4700 ग्राम पंचायतें स्थापित की गईं। सभी प्रांतों में पंचायतों को सीमित अधिकार दिए गए। वे जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जलविकास, सड़कों, तालाबों कुओं आदि की देखभाल करती थीं। उन्हें न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। वे अधिकतम 200 रु. की चल संपत्ति से संबद्ध मुकदमे

ले सकती थीं और फौजदारी के मुकदमों में 50 रु. तक जुर्माना कर सकती थीं। इनकी आय का मुख्य साधन जुर्माना या दान था। परंतु वास्तविकता यह रही कि प्राचीन पंचायतों की तुलना में ये पंचायतें पूर्णतया प्रभावहीन थीं, इनके पंच जनता द्वारा न चुने जाकर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा आय के साधन न होने के करण इनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार यह अनुभव करते थे कि गाँवों का आर्थिक और नैतिक पतन केवल पंचायतों की पुन: स्थापना द्वारा ही रोका जा सकता है। गांधी जी के ग्रामों के लिए दससूत्री कार्यक्रम में पंचायतों को सुदृढ़ बनाने की बात मुख्य थी। वे पंचायतों को स्वंतत्र भारत की शासनव्यवस्था की आधारशिला बनाना चाहते थे। 1937 में सात प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों के सामने भी यही आदर्श था। उत्तर प्रदेश में अनेक ग्रामों में जीवनसुधार समितियाँ बनाई गई जिन्हें ग्रामविकास के कार्य सौंपे गए।

इस प्रकार 1947 ई. तक ग्रामों में सही पंचायत व्यवस्था का अभाव ही रहा। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सक्रिय प्रयास आरंभ हुए। उत्तर प्रदेश में सन् 1947 में पंचायत राज अधिनियम बनाया गया। संविधान के अंतर्गत राजनीति के निदेशक तत्वों में राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य बतलाया गया कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर हो तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। इस निदेश के अनुसार प्रत्यक राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए और प्रत्येक ग्राम अथवा ग्रामसमूह में पंचायत की स्थापना की गई। पंचायत के सदस्यों का चुनाव गाँव के मताधिकारप्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतें ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार तथा मेलों और चरागाहों की व्यवस्था करती हैं, जन्म मृत्यु का लेखा रखती हैं और खेती, उद्योग धंधों एवं व्यवसायों की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, श्मशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल भी करती हैं। वृक्षारोपण, पशुवंश का विकास, ग्रामसुरक्षा के लिए ग्रामसेवक दल का गठन, सहकारिता का विकास, अकाल पीड़ितो की सहायता, पुलों और पुलियों का निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों का सुधार आदि इनके ऐच्छिक कर्तव्य हैं। ग्रामों में पंचायत व्यवस्था का दूसरा अंग न्याय पंचायतें हैं। ग्रामों में मुकदमेबाजी कम करने तथा जनता को सस्ता न्याय सुलभ बनाने की दृष्टि से न्याय पंचायतों का निर्माण किया गया है। इन्हें दीवानी, फौजदारी और माल के मामलों में कुछ अधिकार प्रदान किए गए है। प्रत्येक राज्य में पंचायतों के अधिकार और दायित्व न्यूनाधिक रूप से समान है।

विकेंद्रीकरण व्यवस्था को पूरी तरह कार्यान्वित करने की दिशा में और भी कदम उठाए गए हैं। पंचायतों के अधिकारों और कर्तव्यों का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है। इस प्रकार ग्राम पंचायतें पुन: हमारे देश के जनजीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं। इस व्यवस्था की सफलता के लिए जनशिक्षा, सामूहिक चेतना, गुटबंदी का अभाव, राज्य

द्वारा कम से कम हस्तक्षेप आदि बातें आवश्यक हैं।

खंडवा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का कमालखंडवा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का कमाल धरती पर गिरने वाले वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को रोका जा सकता है। बशर्ते इसके लिए संरचनाओं की ऐसी श्रृंखला तैयार कर दी जायें कि पानी की एक भी बूँद 10 मीटर से अधिक दूरी पर न बहने पायें। इसे कोई जल संरचना रोक ले और धरती में अवशोषित कर ले यही संपूर्ण जल प्रबंधन है। जलग्रहण का सिद्धांत है कि 'पानी दौड़े नहीं, चले' है, जबकि संपूर्ण जल प्रबंधन का सिद्धान्त है कि 'पानी न दौड़े न चले, बल्कि रेंगे और अंततः रुक जाये, और जमीन की महराईयों में ऐसा समा जाये कि उसे सूरज की रोशनी भी उड़ा के न ले जाये। वह जमीन के अंदर धीरे-धीरे चलता हुआ वहां निकले जहां हम चाहते हैं (कुओं में, ताल्लाबों में, हेंडपंपों में, ट्यूबवेल में, नदी-नालों में)। इस प्रकार से प्राप्त जल स्वच्छ एंव सुरक्षित होता है और लंबे समय तक मिलता/बहता रहता है।

इन संरचनाओं में 5 से 10 सें. मी. वर्षो जल एक बार में रोका जा सकता है। इससे अधिक वर्षा यदा-कदा ही दो-तीन वर्षों में एक बार होती है, और इतनी साल में तीन-चार बार। इस प्रकार संपूर्ण वर्षा में 100 सें. मी. तक की योग वर्षा को भूमि में अवशोषित किया जा सकता है। यह जल भूमि में अवशोषित होकर धीमी गति से कुंए, ट्यूबवेल, हेंडपंप व तालाबों में आगामी 6 माह से 12 माह तक प्राप्त होता रहता है। इससे हमारी खरीफ की फसल सुनिश्चित होती है, सुखे से मुक्ति मिलती है, रबी की फसल भी पर्याप्त होती है गर्मी में पेयजल संकट नहीं होता है। जिले में इस सिद्धांत पर 200 से अधिक ग्रामों एवं 30हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कार्य किया जा रहा है। इसका लाभ 50हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में सूखे से मुक्ति के रूप में व 25 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त रबी की फसलों के रूप में प्राप्त होगा।

जलग्रहण:

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मानव के द्वारा किया गया परिवर्तन छेड़खानी है, बदलाव है, प्रकृति नियम विरुद्ध है, तथा भटकाव है। जब से मानव ने इसकी दिशा, रफ्तार में अधिक रुचि दिखाई तब से समस्या जटिल हो गयी है। जब से धरती ठंडी हुई है तभी से होने वाली भौगोलिक उथल-पुथल शुरू हुई। नदी-नाले, समुद्र, पहाड़ बनें और फिर पैदा हुआ जीवन, वन, मिट्टी, लाखों करोडों वर्षो से यह प्रक्रिया भली भांति चल रही है। धीरे-धीरे इसमें एक संतुलन स्थापित हो गया है। जब से वानर उत्पाती हुए तब से परिवर्तन दिशाहीन हो गया। सैकड़ों साल पहले तक आज जहाँ रेगिस्तान, दलदल बंजर जमीन दिखती है, वहां ऐसा नहीं था। गत 100 वर्षों में जनसंख्या अनियंत्रित रुप से बढ़ी है, और उससे अधिक रफ्तार से बढ़ा है हमारा लालच। शनैः-शनैः हम जंदल काटते चले गये। प्रकृति की जो क्रिया-प्रतिक्रिया थी इसका संतुलन बिगड़ा है वैसे भी जहाँ क्रिया होती है वहीं प्रतिक्रिया भी होती है। यह प्रतिक्रिया कितनी व्यापक और भयानक हो सकती है इसका अंदाज भी हमें अपने करनी के समय नही था। आज इसका एहसास हो रहा है।

धरती पर गिरने वाले वर्षा जल की प्रत्येक बूँद को रोकने का साहस म.प्र. के खण्डवा जिले ने कर दिखाया है। इसके लिए जिले में संरचनाओं की ऐसी श्रृंखला तैयार की है कि -- पानी की एक भी बूँद 10 मीटर से अधिक दूरी पर न बहने पाये। इसे कोई जल संरचना रोक ले और धरती में अवशोषित कर लें। यही संपूर्ण जल प्रबंधन है। जिसके उदाहरण है – ग्राम डंठा, धनगाँव, तोरनी व रोशनपुरा। इसके अलावा जिले में दो सौ से अधिक ग्रामों में संपूर्ण जल प्रबंधन के उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। नेशनल वाटरशेड कमीशन ने तो 21वीं सदी में पानी को लेकर दंगों की आशंका व्यक्त की है। पानी की ओर उपलब्धता इस साल हमें अच्छी तरह समझ में आ गयी है। मानसून से पहले इस देश में एक घूंट पीने के पानी की समस्या हो जाती है। जब सभी तरफ अच्छे वन हुआ करते थे तब 90 प्रतिशत वर्षा का जल नहीं बहता था वहीं जमीन में समा जाता था। समान्य वनों में 20 प्रतिशत तथा अच्छे वनों में 90 प्रतिशत पानी बारिश में जमीन में समा जाता है। अब हम वहां खेती करते हैं। खेती भी 20त्न–50त्न पानी सोख लेती है, एवं जहां खेती नहीं होती वहां न पानी रुकता है, न मिट्टी। इसी कारण से टनों मिट्टी सालाना बह जाती है जबकि एक सेंमी. मिट्टी बनने में हजार साल लगते हैं। यह बात और है कि अधिकांश हिस्सों में या तो मिट्टी बनना बंद हो गयी है या उसकी रफ्तार धीमी हो गयी है। यही कारण है कि आज पेड़-पौधे व चारे, वनोपज की उपलब्धता कम हो गई है। शेष वनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। इस स्थिति में मिट्टी बही तो वह तालाबों व नालों को पाटने लगी है। नदियों-नालों की चौड़ाई बढ़ी है। बाढों की भयानकता इसी से बढ़ी है। इससे मौसम भी बदल गया है। पहले की तुलना में मानसून का असंतूलन बढ़ने लगा है। बस इसी समय से कृषि वैज्ञानिकों की चिन्नताएं बढ़ी कि किस तरह बारिश का पानी जमीन के अंदर पहुंचाया जाए। वन लगाना कठिन काम है। जून माह में पहले प्राथमिक रुप से पेड़-पौधे लग जाया करते हैं, अब वहां वृछारोपण के लिए गड्ढे खोदकर पहले अच्छी मिट्टी भरनी पड़ती है। चारागाह में वृद्धि करें, कृषि उत्पादकता बढ़ाएं एवं पानी को जमीन में पहुंचाएं, यह लक्ष्य वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया। इससे अतिरिक्त भूमि की मांग कम होगी। लोगों की हालत सुधरेगी विकास की धाराओं पर असर पड़ेगा। इसी आधार पर उन्होंने बड़ी नदियों को बोसिन में बांटा। फिर छोटी नदियों को बेसिन में बांटा और फिर मिली-वॉटरशेड एवं माइक्रो-वाटरशेड। वाटरशेड वह काल्पनिक रेखा है, जो यह तय करती है कि उसके किस तरफ आया पानी किस तरफ बहे, वह गिरने वाले पानी की दिशा तय करती है। मगर जलग्रहण क्षेत्र मिशन के संदर्भ में वाटरशेड वह एरिया है, जहां पर हुई बारिश एक बिन्दु पर पहुंचती है। इसे कैचमेंच एरिया भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाटरशेड का रिजलाईन अथवा वेलीलाईन पूर्व समय में दो देशों - राज्यों की सीमा निर्धारण का सिद्धांत भी रहा है।

जलग्रहण का सिद्धांत बहुत साधारण है पानी जहां गिरता है, उसे आगे बढ़ने से रोकना है। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ेगा उसकी मात्रा बढ़ेगी। आस-पास का पानी उसमें आकर मिलेगा, उसकी रफ्तार बढ़ेगी, वह मिट्टी काटेगा। हमें उसे संगठित नहीं होने देना है। संगठन में ही शक्ति है, उसकी शक्ति कम करना है, वह बढ़कर नासूर बने उसके पहले

ही उसका इलाज करना है। वैसे पानी हम बड़ी-बड़ी संरचनाएं बनाकर भी रोक सकते हैं मगर वहां पर पानी की रोकने की कीमत बढ़ जाती है। ऐसी बड़ी संरचनाओं की संभावनायें भी पहले तो सीमित ही होती हैं और उनसे होने वाले लाभ-हानि तो अपने आप में विश्लेषण का विषय है। इस माध्यम से सिंचाई के लिए भी पानी की कीमत एक लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से अधिक की होती है। वैसे यह एक विडम्बना है, कि पहले हम बिखरे हुए पानी को एक जगह एकत्रित कर लें और फिर उसे सिंचाई के लिए वापस बिखेर दें। जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आये। उदाहरणार्थ-सूर्य की रोशनी को ही लें। सूर्य की रोशनी से पौधा बना। हजारों वर्षों पहले इससे कोयला निर्मित हुआ।

कोयले को जलाकर ऊर्जा निकाली, उसकी भांप से टरबाइनें घूमीं और फिर बिजली बनी। इसी गर्मी से पानी भाप बनता है। मतलब ऊर्जा ने 7 बार अपना स्वरूप बदला और इस प्रक्रिया में ऊर्जा 50 प्रतिशत ही शेष रह जाती है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में ऊर्जा 90 प्रतिशत ही काम की रह जाती है। अन्ततः इसी बादल से हम गर्मी पैदा करते हैं, हीटर जलाकर। इस बार ऊर्जा ने 7 बार अपना स्वरूप बदला। परिवर्तन में 80 से 90 प्रतिशत इसमें ऊर्जा रह जाती है और अंततः 40 से 50 प्रतिशत पानी की भी बार-बार की बर्बादियों को रोकना ही जलग्रहण का सिद्धांत है। यदि वर्षा का पानी गिरने पर हम उसे रोक दें, जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर तो पानी के उपयोग में आने वाली अनेक अव्यवस्थाओं व नुकसानों से हम निश्चित ही बच जायेंगें। उदाहरण के लिये खंडवा जिले की आबादी लगभग 18 लाख है। पशुओं की आबादी लगभग 22 लाख है। बढ़ोत्तरी के मान से यह 2010 तक क्रमशः 20 एंव 25 लाख हो जायेगी। इसकी तुलना में खंडवा जिले का रकबा 11 लाख हेक्टेयर है। इसमें से यह एक लाख हेक्टेयर वह क्षेत्र घटा दें जो नदी नालों का है, शेष 10 लाख हेक्टेयर रह जाता है। इस 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खंडवा जिले की औसत वर्षा लगभग 90 सेंमी. के मान से 9 लाख हेक्टेयर मीटर वर्षा हमें उपलब्ध होगी। इसी प्रकार 40 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रति पशु, प्रतिदिन के आवश्यकता के हिसाब से हमें 7000 हेक्टेयर लीटर पानी की वार्षिक आवश्यकता हमें है।

इसी प्रकार जिले के अंदर चार लाख हेक्टेयर में खरीफ की और लगभग एक लाख हेक्टेयर में रबी की फसल लगायी जाती है। यदि हम सम्पूर्ण 400 लाख हेक्टेयर में दोनों फसलों का सपना देखें एवं रबी में इससे पानी के मान एवं खरीफ में वर्षा से अतिरिक्त पानी की मांग से लगभग 30 सेमी. प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता पड़ेगी जो 1.2 लाख हेक्टेयर होता है जो केवल उपलब्ध वर्षा का 13 प्रतिशत है, और पशु एवं आदमी को पीने की आवश्यकता है, वह कुल उपलब्ध वर्षा का 0.77 प्रतिशत है। यह सब कुछ मिला लें तो वर्षा के 15 प्रतिशत पानी की आवश्यकता है, यानि कि 90 सेमी. में वर्षा के हिसाब से मात्र 13-14 सेमी. पानी ही पर्याप्त है। अगर हम सम्पूर्ण जिले में जलग्रहण के मान से संरचनाओं का निर्माण करें तो 40-50 सेमी. वर्षा भी, जो गत वर्ष की वर्षा है एवं पिछले 50 सालों की सबसे कम वर्षा है, इसे रोक लेते हैं तो सूखे की स्थिति निर्मित नहीं होगी।

अत: एक हेक्टेयर में खंडवा जिले में 90 सेमी. पानी गिरता है। 90 सेमी. पानी में हमारी आवश्यकता देखी जाये तो 40 सेमी. की आवश्यकता है। 50 सेमी. पर हेक्टेयर हमारे पास पानी अधिक है। इस अतिरिक्त पानी को हम स्थायी रुप से धरती के ऊपर तालाब आदि संरचनाओं में भरकर रख सकते हैं, और इससे अधिक जमीन के अंदर भंडारण कर सकते हैं। पानी जहां गिरा है, उसे वहीं रोक दें तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह होगी कि न तो इसमें हमें भंडार के लिए जगह बर्बाद करना पड़ेगी और न हीं पानी के वितरण में जगह बर्बाद करना पड़ेगी। जितना ज्यादा फैलाव होगा पानी उतनी ही रफ्तार से जमीन पर समायेगा।

यदि हम ऊंचे क्षेत्रों में गिरने वाले पानी को वहीं रोक दें तो ऊंचे क्षेत्र (पहाड़ आदि को) जो स्पंज के समान होते है, पानी सोख लेते हैं। पहाड़ियों में बहुत विशाल मात्रा में पानी रोका जा सकता है। पहाड़ों के नीचे की ओर मैदानी क्षेत्र में जो गांव बसे हैं, इनमें पानी सालभर रिस-रिसकर आता है। नीचे से फिर पहाड़ों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे ओव्हर टैंक हो, जिसकी भंडार क्षमता बहुत अधिक है, बल्कि पानी भी दूर-दूर रिस कर जाता है। जितनी हमें पानी की आवश्यकता है, उस रफ्तार से पानी रिसेगा। इसका विशेष महत्व तब है, जब अल्प वर्षा की स्थिति निर्मित होती है तब यही भूमि का जल हमें मिलता रहेगा और हमें पानी की समस्या नहीं होगी। वैसे भी जमीन और पहाड़ो को फिर से पूर्ण रूप से तृप्त करने के लिए अनेक वर्ष लगते हैं।

जलग्रहण की सबसे बड़ी उपयोगिता तब है, जब इसे बहुत ही सूक्ष्मता, धैर्य और विवेक के साथ इसे लागू किया जाए तो नतीजा यह निकलना चाहिए कि बरसात में नदी नाले या तो बहें ही नहीं या बहुत धीमें बहें। (सालभर याने कि भीषण गर्मी में) जल की उपलब्धता बनी रहे। पानी के अलावा जलग्रहण में वहां के व्यक्तियों को संगठित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक अच्छे जलग्रहण में सीमेन्ट और लोहे का कोई काम नहीं है, सिर्फ श्रम ही पर्याप्त है। अर्थात हर्र लगे न फिटकरी रंग दिखे चोखा । सामाजिक एवं आर्थिक रुप से एक अच्छे जलग्रहण का मापदंड है, संगठित एवं सहयोगी समाज का उद्भव व औसत आय में कम से कम सौ प्रतिशत की वृद्धि। यह आदर्श जलग्रहण कार्य की पराकाष्ठा है, यही उसकी परिणति है।

संदर्भ ग्रंथ :

राजेश गुप्ता पंचायत परिवार (मई-जून 2003)
वॉटर शेड मिशन जिला कार्यालय खंडवा (प्रकाशित रिपोर्ट)
जिला पंचायत खंडवा (रिपोर्ट)

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

बाल अपराध एक अध्ययन

श्रीमती गीता शुक्ला
शोध छात्रा
समाजशास्त्र अध्ययनशाला
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन

जब किसी बच्चें द्वारा कोई कानून–विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आया के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अंलग–अलग राज्यों मे अलग–अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा-निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है।

केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन् इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। 7 से 16 वर्ष का लड़का तथा 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास देता है जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि तो वह बाल अपराधी मानी जायेगा।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराध के लिये आयु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती, अतः कुछ विद्वान, बालक द्वारा प्रकट व्यवहार प्रवृति को बाल अपराध के लिए आधार मानते हैं, जैसे आवारागर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता–पिता एवं संरक्षक की आज्ञा न मानना, अश्लील भाषा का प्रयोग

करना, चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क रखना आदि। किन्तु जब तक कोई वैध तरीका सर्वसम्मिति से स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक आयु को ही बाल अपराध का निर्धारक आधार माना जायेगा। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है।

इस प्रकार बाल अपराध में बालको के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालकों के ऐसे व्यवहारा का जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं, ऐसे कार्यों को करने वाला बाल अपराधी कहला ता है। रॉबिन्सन के अनुसार आवारागर्दी, भीख माँगना, निरूद्देश्य इधर–उदर घूमना, उदण्डता बाल अपराधी के लक्षण है।

मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य में अपराधवृत्तियों का जन्म बचपन में ही हो जाता है। अंकेक्षणों (स्टैटिस्टिक्स) द्वारा यह तथ्य प्रकट हुआ है कि सबसे अधिक और गंभीर अपराध करनेवाले किशोरावस्था के ही बालक होते हैं। इस दृष्टि से कैशोर अपराध (जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी) को एक महत्वपूर्ण कानूनी, सामाजिक, नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में देखा जाने लगा है।

कैशोर अपराधों का स्वरूप सामान्य अपराधों से भिन्न होता है। कानूनी शब्दावली में देश के निर्धारित कानूनों के विरुद्ध आचरण करना अपराध है, किंतु कैशोर अपराध समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। किशोर अवस्था के बालकों द्वारा किए गए वे सभी व्यवहार जो कानूनी ही नहीं वरन् किसी भी दृष्टि से समाज तथा व्यक्ति के लिये अहितकर हों, कैशोर अपराध की सीमा में आते है। यथा–––विद्यालय से भागना कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है, किंतु सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हानिकर है। यह एक ओर तो सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों से भागना सिखाती है और दूसरी ओर बालक को उचित कार्य से हटाकर अनुचित कार्यों की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार कैशोर अपराध का क्षेत्र अधिक व्यापक है।

किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता हैय अतरू अपने उचित या अनुचित व्यवहार के लिये किशोर बालक स्वयं नहीं वरन् उसका वातावरण उत्तरदायी होता है। इस कारण अनेक देशों में कैशोर अपराधों का अलग न्यायाविधान हैय उनके न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधिकारी बालमनोविज्ञान के जानकार होते है। वहाँ बाल–अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उनके जीवनवृत्त (केस हिस्ट्री) के आधार पर उनका तथा उनके वातावरण का अध्ययन करके वातावरण में स्थित असंतोषजनक, फलतरू अपराधों को जन्म देनेवाले, तत्वों में सुधार करके बच्चों के सुधार का प्रयत्न किया जाता है। अपराधी बच्चों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, दया और

संवेदना का व्यवहार किया जाता है। भारत में भी कुछ राज्यों में बालन्यायालयों और बालसुधारगृहों की स्थापना की गई है।

किशोर बालक अपराध क्यों करते है, इस संबंध में विभिन्न मत हैं। मानवशास्त्रियों (ऐंथ्रोपालोजिस्ट्स) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपराध का संबंध वंशानुक्रम, शारीरिक बनावट एवं जातिगत विशेषताओं से है। इसी कारण अपराधी जाति (क्रिमिनल ट्राइब्ज) के सभी व्यक्ति एक ही जातिगत विशेषताओं और एक सी शारीरिक बनावट के होते हैं तथा वे एक सा अपराध करते हैं। शरीरवैज्ञानिकों का मत भी इसी से मिलता जुलता है। उनके मतानुसार विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट और प्रक्रियावाला व्यक्ति विशेष प्रकार का अपराध करेगा। किंतु मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि अपराध का संबंध न तो उत्तराधिकार से होता है और न शारीरिक बनावट से य उत्तराधिकार में केवल शारीरिक विशेषताएँ ही प्राप्त होती हैं, उनका व्यक्ति की भावनाओं, आकांक्षाओं, प्रवृत्तियों एवं बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता। समाजशास्त्रियों का कथन है कि अपराध का जन्मदाता दूषित वातावरण, यथा——गरीबी, उजड़े परिवार, अपराधी साथी आदि है। किंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोधों द्वारा यह जाना गया है कि एक ही वातावरण ही नही वरन् एक ही परिवार में पले, एक ही मातापिता के बच्चों में से एकआध ही अपराधी होता है, सभी नहीं। यदि अपराध का जन्मदाता वातावरण होता है तो अन्य भाई बहिनों को भी अपराधी बनना चाहिए।

अपराध एक प्रकार का आत्मप्रकाशन तथा व्यवहार है। किशोर अवस्था के अपराध भी स्वाभाविक व्यवहार के ढंग हैं, केवल उनका परिणाम समाज तथा व्यक्ति के लिये अहितकर होता है। अतरू समाज को इस अहितकर स्थिति से बचाने के लिये मनावैज्ञानिक की सहायता से अभिभावकों तथा अध्यापकों को यह देखना होगा कि बच्चे के अपराधी आचरण की कारणभूत कौन सी असंतोषजनक स्थितियाँ विद्यमान है। रोग के कारण को दूर कर दीजिए, रोग दूर हो जाएगा, यह चिकित्साशास्त्र का सिद्धांत है। अपराधी व्यवहार भी सामाजिक रोग हे। इसके कारण असंतोषजनक स्थिति को दूर करने पर अपराधी व्यवहार स्वयं समाप्त हो जाएगा और अपराधी बालक बड़ा बनकर समाज का योग्य सदस्य तथा देश का उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन सकेगा।

भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोदिन बढ़ती जा रही है, साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वंतत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं, इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कम्प्युटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने

इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। सन् 2000 के आँकड़ों के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कुल 9,267 मामले पंजीकृत किये गये तथा स्थानीय एवं विशेष कानून के अन्तर्गत 5,154 मामले पंजीकृत किये गये। बाल अपराध की दर में विभिन्न वर्षो में उतार–चढ़ाव देखने को मिलता है। 1997 में बालकों में अपराध की दर 0.8 प्रतिशत थी, वही बढ़कर सन् 1998 में 1,0 प्रतिशत था इसके पश्चात् सन 1999–200 मे 0.9 प्रतिशत रही। बालकों द्वारा किये गये अपराधों मे से भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सबसे अधिक सम्पत्ति सम्बन्धी थे। सन् 2000 में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों में से चोरी (2,385), लूटमार (1,497) तथा सेंधमारी (1,241) के मामले पाये गये, इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न के (51.9), डकैती के (32 प्रतिशत), हत्या के (28.6 प्रतिशत), बलात्कार के (24.5 प्रतिशत) मामले पाये गये।

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत बाल अपराध की सर्वाधिक दर मध्यप्रदेश में 2,681 और महाराष्ट्र में (1,641) पायी गयी। इसी प्रकार महानगरों जैसे बम्बई, दिल्ली में भी बाल अपराध की उच्च दर पायी गयी।

बाल अपराध के प्रकार

बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक सन्दर्भ होता है। कारण होते है तथा विरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। हावर्ड बेकर (1966) ने चार प्रकार के बाल अपराध बताएँ है।

वैयक्तिक बाल अपराध

यह वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही अपराधिक कार्य करने में संलग्न होता है। और इसका कारण भी अपराधी व्यक्ति में ही खोजा जाता है। इस अपराधी व्यवहार की अधिकतर व्याख्याएँ मनोचिकित्सिक समझाते हैं, उनका तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अन्तक्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किये जाते हैं। हीले और ब्रोनर (1936) ने अपराधी युवकों की तुलना उन्हीं के अनपराधी सहोदारो से ही और उनके बीच अन्तरों का विश्लेषण किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि 13.0 प्रतिशत अनपराधी सहोदारों की तुलना मे 90.0 प्रतिशत अपराधी किशारों का घरेलू जीवन दुःख भरा था और वेअपने जीवन की परिस्थितियों से असन्तुष्ट थे, उनकी अप्रसन्नता की प्रकृति भिन्न थी। कुछ तो माँ–बाप द्वारा उपेक्षित मानते थे तथा अन्य या तो हीनता का अनुभव करते थे या अपने सहोदरों से ईर्ष्या करते थे या फिर मानसिक तनाव से पीड़ित थे, इन समस्याओं के समाधान के लिए वे अपराध में लिप्त हो गये थे, क्योंकि इससे (अपराध) या तो उनके माता–पिता का ध्यान उनकी और आकर्षित होता था या उनके साथियों का समर्थन उन्हें मिलता

था या उनकी अपराध भावना को कम करता था। बन्दूरा और वाल्टर्म ने श्वेत बाल अपराधियों के कृत्यों की तुलना अनपराधी लड़को से ही जिनमें आर्थिक कठिनाईयों के स्पष्ट संकेत नहीं थे, उन्हें पता चला की अपराधी अनपराधीयों से उनकी माताओं के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से थोड़ा सा भिन्न ही है, लेकिन उनके पिताओं के साथ अपने सम्बन्धों में कुछ अधिक भिन्न थे, इस प्रकार अपराध में पिता पुत्र सम्बन्ध, माता पुत्र सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दिए क्योंकि अपने पिता में आदर्श भूमिका की अनुपस्थिति के कारण अपराधी लड़के नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण नहीं कर सके, इसके साथ ही उनका अनुशासन अधिक कठोर था।

समूह समर्थित बाल अपराध

इस प्रकार के अपराध में बाल अपराध अन्य बालकों के साथ में घटित होता है और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व या परिवार में नही मिलता, बल्कि उस व्यक्ति के परिवार व पड़ोस की संस्कृति में होता है। थ्रेशर शॉ और मैके के अध्ययन भी इसी प्रकार के बाल अपराध की बात करते हैं, मुख्य रूप से यह पाया गया कि युवक अपराधी इसलिऐ बना क्योंकि वह पहले से ही अपराधी व्यक्तियों की संगति में रहता था, बाद में सदरलैंड ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किये। जिसने विभिन्न संपर्क के सिद्धान्त का विकास किया।

संगठित बाल अपराध

इसमें वे अपराध सम्मिलित हैं जो औपचारिक रूप से संगठित गिरोहों द्वारा किये जाते हैं, इस प्रकार के अपराधों का विश्लेषण सन् 1950 के दशक में अमरीका में किया गया था तथा अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा का विकास किया गया था। यह अवधारणाउन मूल्यों और मानदण्डों की ओर संकेत करती है जो समूह के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, अपराध करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रकार के कृत्यों पर उन्हें प्रस्थिति प्रदान करते हैं और उन व्यक्तियों के साथ उनके संबधो को स्पष्ट करते है जो समूह मानदण्डों से बाहर के समूह होते हैं।

स्थितिजन्य अपराध

स्थितिजन्य अपराध की मान्यता यह है कि अपराध गहरी जड़े नहीं रखता और अपराध के प्रकार और इसके नियंत्रित करने के साधन अपेक्षाकृत बहुत सरल होते हैं, एक युवक की अपराध के प्रति गहरी निष्ठा के बिना अपराधी कृत्य में संलग्न हो जाता है, यह या तो कम विकसित, अन्तः नियंत्रण के कारण होता है या परिवार नियंत्रण में कमजोरी के कारण या इस विचार के कारण कि यदि वह पकड़ा भी जाता है तो भी उसकी अधिक हानि नहीं होगी। डेविड माटजा ने इसी प्रकार के अपराध का सदर्भ दिया है।

बाल अपराध के कारण

बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है, अतः इसके अधिकांश कारण भी समाज में ही विद्यमान हैं, इसके कारणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

पारिवारिक कारण

परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है, जहाँ वह अपने माता–पिता एवं भाई–बहनों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। जब माता–पिता बच्चों के प्रति अपने दायित्वो का निर्वाह करने में असमर्थ रहते हैं, तो बच्चों से भी श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। परिवार से संबंधित कई कारण बालक को अपराधी बनाने में उत्तरदायी है।

भौतिक वंशानुक्रमण

बच्चों के शरीर और स्वास्थ्य का संबध उसके वंशानुक्रमण से भी है जो कि उसकी शारीरिक और सामाजिक भूमिकाओं को प्रभावित करता है, इटली के अपराधाशासधि लोम्ब्रोसो ने तो अपराधी प्रवृति को व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं से जनित ही माना था। गोडाई, रिचार्ड डुग्डेल एवं इस्टा बुक ने कालिकाक और ज्यूक परिवारों का अध्ययन करके पाया कि ये परिवार शारीरिक दृष्टि से क्षत थे तथा इन परिवारों की सभी पीढ़ियां अपराधी थी। भारत में भूतपूर्व अपराधी जनजातियों को भी वंशानुक्रमण के आधार पर अपराधी घोषित किया गया था, अपराधी को वंशानुक्रमण की देन मानने वाले विद्वान मेण्डल के वंशानुक्रमण के सिद्धान्त से प्रभावित थे।

अपराधी भाई–बहन

बच्चे अनुकरणप्रिय होते हैं, वे हर अच्छे बुरे काम को बड़ो से अनुकरण के आधार पर सीखते हैं, यदि परिवार में बड़े भाई–बहिन अपराधी हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो बच्चों का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है, उनमें विद्रोही भावना के स्वर मुखरित हो जाते हैं, वे दुषित वातावरण से बाहर रहने लगते हैं और गलतसंस्कार प्राप्त कर अपराधी बन जाते हैं, अथवा माता पिता बच्चें को समान रूप से स्नेह नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे अपने को परिवार से अलग कर लेते हैं और उनके मन मे अपराध की भावना जागृत हो जाती हैं।

माता–पिता द्वारा तिरस्कार

माता–पिता द्वारा बच्चे के विकास और अन्तः करण पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अंतविवेक की कमी होने के कारण शत्रुता की भावना के साथ मिलकर आक्रामकता को जन्म देती है, ऐण्ड्री (1960) ने भी माना है कि बाल अपराधी अपराधियों की अपेक्षा माता–पिता का प्यार कम पाते हैं।

इसी प्रकार दोषपूर्ण अनुशासन भी बाल अपराध के लिए जिम्मेदार कारक है, अनुशासन का प्रभुत्वपूर्ण

दृष्टिकोण बच्चे के मित्र समूह सम्बन्धों को भी प्रभावित करता है क्योकि बच्चा अपने साथियों के साथ स्वतत्रता से व्यवहार नहीं कर पायेगा दूसरी और नम्र अनुशासन बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण प्रदान नहीं करेगा, अनुचित या पक्षपातपूर्ण अनुशासन बच्चे में यथेष्ट अन्तः भावना का विकास करने में असफल रहता है।

मनोवैज्ञानिक कारण

मनौवैज्ञानिकों ने मानसिक असमानताओं को भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी माना हैं, मानसिक कारणों में दो कारक महत्वपूर्ण हैं

मानसिक अयोग्यता

गोडार्ड, हीले एवं ब्रोनर आदि ने अध्ययनो द्वारा यह पाया कि बाल अपराधी मानसिक रूप से पिछडे होते है, क्लेश एवं चासो ने कोलम्बिया विश्विद्यालय में सन् 1935 में अपना एक लेख "दी रिलेशन बिटविन मोरलिटी एण्ड इण्टलेक्ट प्रकाशित किया जिसमें दर्शाया कि कमजोर मस्तिष्क वाले परिवारों का झुकाव अपराध की ओर अधिक था, मानसिक पिछड़ेपन के कारण उनमें तर्क शक्ति का अभाव होता है।

बाल अपराध सम्बन्धी सिद्धान्त

मर्टन थ्रेशर, शॅ एव मैके, भीड कोहेन, क्लोवर्ड और ओहलिन आदि समाशास्त्रीय सिद्धान्तवादियो ने बाल अपराध के अपराधशास्त्रीय ज्ञान में प्रमुख योगदान दिया है जैसे मर्टन का मानक शून्यता सिद्धान्त, यह है कि जब पर्यावरण के भीतर उपलब्ध संस्थात्मक सांधनो ओर उन लक्ष्यों के, जिन्हें व्यक्तियो ने अपने परिवेश मे चाहा था, क बीच कोई विसंगति रह जाती है, तब तनाव या कुण्ठा पैदा होती है ओर प्रतिमान टूटते हैं परिणास्वरूप विचलित व्यवहार का जन्म होता है।

बाल अपराध को रोकने के उपाय

बाल अपराधों को रोकने के लिये वर्तमान में दो प्रकार के उपाय किये गए हैं प्रथम उनके लिए नए कानूनों का निर्माण किया गया है ओर द्वितीय सुधार संस्थाओं एव स्कूलों का निर्माण किया गया है जैसे उन्हें रखने की सुविधाएँ हैं, यहाँ हम दोनों प्रकार के उपायों का उल्लेख करेंगे।

कानूनी उपाय

बाल अपराधियों को विशेष सुविधा देने ओर न्याय की उचित प्रणाली अपनाने के लिये बाल–अधि नियम और सुधारालय अधिनियम बनाए गए है। भारत मे बच्चों की सुरक्षा के लिए 20वीं सदी की दूसरी दशाब्दी में कई कानून बनें सन् 1860 में भारतीय दण्ड संहिता के भाग 399 व 562 में बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर रिफोमेट्रीज में भेजने का प्रावधान किया गया। दण्ड विधान के इतिहास में पहली

बार यह स्वीकार किया कि बच्चों को दण्ड देने के बजाय उनमें सुधार किया जाए एवं उन्हें युवा अपराधियों से पृथक रखा जाए।

संपूर्ण भारत के लिए सन् 1876 में सुधारालय स्कूल अधिनियम बना जिसमें 1897 में संशोधन किया गया, यह अधिनियम भारत के अन्य स्थानों पर 15 एवं बम्बई में 16 वर्ष के बच्चों पर लागू होता था, इस कानून में बाल–अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की बात भी कही गयी थी, अखिल भारतीय स्तर के स्थान पर अलग–अलग प्रान्तों मे बाल अधिनियम बने, सन् 1920 में मद्रास, बंगाल, बम्बई, दिल्ली, पंजाब में एवं 1949 में उत्तरप्रदेश मै और 1970 में राजस्थान मे बाल अधिनियम बने, बाल अधिनियमों में समाज विरोधी व्यवहार व्यक्त करने वाले बालकों को प्रशिक्षण देने तथा कुप्रभाव से बचाने के प्रयास किये गए, उनके लिये दण्ड के स्थानपर सुधार को स्वीकार किया गया। 1986 में बाल न्याय अधिनियम पारित किया गया जिसमें सारे देश में एक समान बाल अधिनियम लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष की आयु से कम के लड़के व 18 वर्ष की आयु से कम की लड़की द्वारा किए गए कानूनी विरोधी कार्यो को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया। इस अधिनियम में उपेक्षित बालकों तथा बाल अपराधियों को दूसरे अपराधियो के साथ जेल मे रखने पर रोकलगा दी गई, उपेक्षित बालकों को बाल गृहों का अवलोकन गृहों में रखा जाएगा। उन्हें बाल कल्याण बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा जबकि बाल अपराधियों को बाल न्यायलाय के समक्ष। इस अधिनियम में राज्यों को कहा गया कि वे बाल अपराधियों के कल्याण और पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे।

बाल न्यायालय

भारत में 1960 के बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किये गये है। सन् 1960 के बाल अधिनियम का स्थान बाल न्याया अधिनियम 1986 ने ले लिया है। इस समय भारत के सभी राज्यों मे बाल न्यायालय है। बाल न्यायालय मे एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, अपराधी बालक, माता–पिता, प्रोबेशन अधिकारी, साधारण पोशक मे पुलिस, कभी–कभी वकील भी उपस्थित रहते हैं, बाल न्यायालय का वातावरण इस प्रकार का होता है कि बच्चे के मष्तिष्क में कोर्ट का आंतक दूर हो जाए, ज्यों ही कोई बालक अपराध करता है तो पहले उसे रिमाण्ड क्षेत्र में भेजा जाता है और 24 घंटे के भीतर उसे बाल न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, उसकी सुनवाई के समय उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है जिसके प्रति बालक ने अपराध किया। सुनवाई के बाद अपराधी बालकों को चेतवनी देकर, जुर्माना करके या माता–पिता से बॉण्ड भरवा कर उन्हें सौंप दिया जाता है अथवा उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है या किसी सुधा र संस्था, मान्यता प्राप्त विद्यालय परिवीक्षा हॉस्टल में रख दिया जाता है।

सुधारात्मक संस्थाएँ

बाल अपराधियों को रोकने का दूसरा प्रयास सुधारात्मक संस्थाओं एवं सुधरालयों की स्थापना करने किया गया है जिनमें कुछ समय तक बाल अपराधियों को रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है, हम यहाँ कुछ ऐसी संस्थाओं का उल्लेख करेंगें –

रिमाण्ड क्षेत्र या अवलोकन – जब बाल अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे सुधारात्मक रख जाता है। जब तक उस पर अदालती कार्यवाही चलती है, अपराधी इन्हीं सुधरालयों में रहता है। यहाँ पर परिवीक्षा अधिकारी बच्चे की शारीरिक व मानसिक स्थितियों का अध्ययनकरता हैं उन्हें मनोरंजन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि दिया जाता है ऐसे गृहों में बच्चें से सही सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं जो वे न्यायाधीश के सम्मुख देने से घबराते है। भारत में दिल्ली एवं अन्य 11 राज्यों में रिमाण्ड होना है। अब इनका स्थान सम्प्रेक्षण गृहों ने ले लिया है।

प्रमाणित या सुधारत्मक विद्यालय – प्रमाणित विद्यालय में बाल अपराधियों को सुधार हेतु रखा जाता है। इन विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त ऐच्छिक संस्थाओं चलाती है। इन स्कूलों में बाल अपराधियों को कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष की अवधि के लिये रखे जाते है। 18 वर्ष की आयु के बाल अपराधी के बोस्टले स्कूल के स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं। इन स्कूलों में सिलाई, खिलौने बनाने, चमड़े की वस्तुएँ बनाने और प्रशिक्षण दिया जाताहै। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम दो वर्ष के लिए होता है, बच्चों को स्कूल से ही कच्चा माल प्राप्त होता है और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेच दिया जाता है और लाभ उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। जमा की गई धनराशि एक निश्चित मात्रा तक पहुँचने के बाद स्कूल के बच्चें के केवल राज्य के उपयोग के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। बच्चों के 5वें दर्जे तक की बुनियादी शिक्षा भी दी जाती है वर्ष के अन्त में उसको विद्यालय निरीक्षक द्वारा संचालित परीक्षा में भी भाग लेना होता हैं। यदि कोई बाल पाँचवी कक्षा के बाद भी पढ़ना चाहता है तो उसे बाहर के किसी विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाता है।

बोस्टल स्कूल इस प्रणाली के जन्मदाता एल्विन रेगिल्स ब्रादूस थे, यहाँ उन्हीं बालको को रखा जाता है जिसकी आयु 15 से 21 वर्ष तक की होती है। उन्हें यहाँ प्रशिक्षण एवं निर्देशन दिये जाते हैं तथा अनुशासन में रखकर उसका सुधार किया जाता है। अवधि समाप्त होने, अच्छे आचरण का आश्वासन देने एवं भविष्य में अपराध न करने का वचन देने पर अपराधी को इस विद्यालय से मुक्त किया जाता है। ये स्कूल अपराधी का समाज से पुनः सांमजस्य कराने में योग देते है।

परिवीक्षा होस्टल – यह बाल अपराधियों के परिवीक्षा अधिनिमय के अन्तर्गत् स्थापित उन बाल

अपराधियों के आवासीय व्यवस्था एवं उपचार के लिए होते है जिन्हें परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है। परिवीक्षा हॉस्टल निवासियों को बाजार जाने की तथा अपनी इच्छा का काम चुनने की पूर्ण स्वंतत्रता होती है। विभिन्न देशों की भाँति भारत में भी बाल अपराधियों को सुधारने के लिये प्रयास किये गये हैं और बाल अपराध की पुनरावृति में कमी आयी है फिर भी इन उपायों में अभी कुछ कमियाँ हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। बालक अपराध की ओर प्रवेश नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाँए, अश्लील साहित्य एवं दोषपूर्ण चलचित्रों पर रोक लगायी जाए, बिगड़े हुए बच्चें को सुधारने में माता–पिता की मदद करने हेतु बाल सलाकार केन्द्र गठित किये जायें तथा सम्बन्धित कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, संक्षेप मे बाल अपराध की रोकथाम के लिए सरकारी एजेन्सियों (जैसे समाज कल्याण विभाग) शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

बर्ट, सी रू दि यंग डेलिंक्वेंटय

क्वैरेसियस रू जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड दि स्कूल य

हूटन रू क्राइम ऐंड दि मैनय

इस्लर रू सर्चलाइट्स आन् डेलिक्वेंसी (संकलन) य

हीली ऐंड ब्रानर रू न्यू लाइट्स आन डेलिंक्वेंसी ऐंड इट्स ट्रीटमेंटय

थ्रैशर रू जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड़ क्राइम प्रिवेंशन (लेख) य

आइकहार्न रू दि वेवर्ड यूथ य

स्मिथ, एच0 रू अवर टाउंस रू ए क्लोज अपय

शा ऐंड मैकी रू जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड अरबन एरियाजय

यंग रू सोशल ट्रीटमेंट इन प्रोबेशन ऐंड डेलिंक्वेंसीय

गोरिंग रू दि इंग्लिश कन्विक्टय

लांब्रासा रू क्राइम, इट्स काजेज ऐंड रेमेडीजय

अपराध संबंधी भारत सरकार की रिपोर्टेंय

किशोरसदन, बरेली की रिपोर्टें।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

पर्यावरण संकट एक अध्ययन

नीलिमा चटर्जी
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय, [redacted]
बेगमगंज जिला रायसेन

परि और आवरण शब्दों की संधि करने पर पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है– जो परितः (चारों ओर) आवृत (ढँके हुए) है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन किसे आवृत किए हुए है। इसका उत्तर है– समस्त जीवधारियों (पादप और जन्तु) को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए है अर्थात् हम समस्त जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं।

सी.सी. पार्क के अनुसारः– पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर घेरे रहती हैं।

पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों, दशाओं, कारकों, प्रणालियों और प्रभाव का योग है जिसमें जन्तु तथा वनस्पतियों का विकास क्रम प्रभावित होता है। प्रकृति के भौतिक घटकों से न केवल जीवधारी प्रभावित होते हैं, जैसे कि यदि किसी ढाल पर जमीन के सबसे किनारे वाले पेड़ों और झाड़ियों को नष्ट कर दिया जाय तो वर्षा ऋतु में वहाँ कि मिट्टी तेजी से कटेगी और कटाव बढ़ता ही जायेगा और कालान्तर में वहाँ केवल नाले और सूखी बंजर जमीन दिखेगी। इस प्रकार भौतिक घटकों (पर्यावरण) को मनुष्य प्रभावित करेगा और बाद में इस क्षेत्र में मनुष्य सहित कोई भी जीवधारी पोषण पाने लायक नहीं रह जायेगा। अतः पर्यावरण व जीवधारियों के बीच एक उचित संतुलन आवश्यक है तभी दोनों पक्ष बने रह सकते हैं।

प्रदूषण– हमारी पृथ्वी एक वृहत् पारिस्थितिक तन्त्र है जो कि कई छोटे–छोटे पारिस्थितिक तन्त्रों में बंटी है। सभी पारिस्थितिक तन्त्रों में (चाहे व जलीय हो या स्थलीय) जैवीय (ठपवजपब) और अजैवीय घटक पाये जाते हैं और ये दोनों घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अर्थात जैवीय घटकों के क्रियाकलापों का प्रभाव अजैवीय घटकों पर तथा अजैवीय घटकों का प्रभाव जैवीय घटकों पर पड़ता है सभी परिस्थितिक तन्त्रों में हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक (च्तपउंतल च्तवकनबमते)

का कार्य करते हैं। तथा ऑक्सीजन व कार्बन डाई ऑक्साईड में संतुलन बनाये रखते हैं। इनके अलावा पृथ्वी के परिस्थितिक तन्त्र में प्रायः अन्य सभी घटक संतुलित अवस्था में पाँये जाते हैं। जब किसी कारणवश यह संतुलन भंग हो जाता है तो परिस्थितिक तन्त्र के मुख्य घटकों जैसे वायु, जल एवं मिट्टी के भौतिक (चैलेपबंस), रासायनिक (बैमउपबंस) एवं जैवीय (ठपवसवहपबंस) लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है। इन सबका अंतिम प्रभाव जीवधारियों पर पड़ता है जो प्रायः हानिकारक ही होता है। इसी अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। अधिक सुखानुभूति की लालच में मनुष्य ऐसे कार्य करता है जिससे वातावरण दूषित होता रहता है।

प्रदूषण की परिभाषा – जल, वायु एवं मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणें का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव एवं उससे संबंधित लाभदायक जीवधारियों के जीवन पर तथा कृषि एवं फलोत्पदनों पर विपरीत प्रभाव डालता है, प्रदूषण कहलाता है।

आज के आर्थिक मानव की अधिक आवश्यकता तथा अधिक संसाधनों के प्रयोग से पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास के फलस्वरूप प्रदूषण हो रहा है। जिसके कारण परिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है।

पारिस्थितिक असंतुलन के कारण –

1. भौतिकी संस्कृति की प्रधानता
2. तकनीकी विकास
3. मृदा क्षरण
4. तीव्र जनसंख्या वृद्धि
5. औद्योगिकरण
6. नगरीकरण
7. बढ़ती ऊर्जा खपत व ऊर्जा संकट
8. परमाणु ऊर्जा
9. भू–स्खलन
10. प्रजातियों का विलुप्तीकरण
11. ओजोन रिक्तीकरण
12. अम्लीय वर्षा
13. ग्रीन हाउस प्रभाव
14. वनों का कटाव

पर्यावरण पर मानव क्रियाकलापों का विपरीत प्रभाव –

हरित गृह प्रभाव वाली गैसें– चूँकि हरित गृह ऊष्मारोधी (भ्मंज ज्तंचचपदह) होती है अतः उष्मारोध ी गैसों को हरित गृह प्रभाव वाली गैसें कहते हैं या वायुमण्डल में जिन गैसों के आवरण को बेधकर पृथ्वी का बहिर्गामी अवरक्त विकिरण अन्तरिक्ष में नहीं जा सकता उन्हें हरित गृह प्रभाव वाली गैसें कहते हैं।

यहाँ ज्ञातव्य है कि पृथ्वी से बाहर जाने वाला ऊष्मा विकिरण, दीर्घ तरंगीय अवरक्त विकिरणों (स्वदहूंअम पदतिंतमक त्ंले) के रूप में होता है और यही हरित गृह प्रभाव वाली गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जिसे वह पुनः प्रतिलोम विकिरण द्वारा धरती की सतह पर विकरित करती रहती है, जिसके फलस्वरूप धरती की सतह गर्म होती रहती है। इन्हीं ऊष्मारोधी गैसों की अधिक मात्रा में वायुमण्डल में उपस्थित वैश्विक ताप वृद्धि (ळसवइंस ॅतउपदह) का कारण बन रही है और हमारे पर्यावरण में बहुत अवांछनीय और अनिष्टकारी परिवर्तन ला रही है जो कि पूरे विश्व की चिंता का विषय है।

हरित गृह प्रभाव वाली गैसें निम्नलिखित हैं –

(प) कार्बन डाई ऑक्साईड, मीथेन, नाईट्रस ऑक्साईड, जलवाष्प, ओजोन, हाइड्रोलोरोकार्बन, (अपप) परलोरो कार्बन, सल्फर हैक्सा लोराईड, ट्राई लौरोमिथईल सल्फर पेन्टोलोराईड

हरितगृह गैसों का पर्यावरण व परिस्थितिकी पर प्रभाव –

(1) चूँकि हारेत गृह गैसें उष्मा रोधी (भ्मंज ज्तंचचपदह) गैसें हैं जो कि धरती से बाहर जाने वाले दीर्घ तरंगीय अवरक्त विकिरण (स्वदहूंअम पदतिंतमक त्ंकपंजपवद) का अवशोषण कर उन्हें वापस धरातल की ओर विकरित (त्ंकपंजम) करेंगी अतः वैश्विक ताप वृद्धि (ळसवइंस ॅतउपदह) अधिक होगा।

(2) वायुमण्डल में अधिक तापमान होने के कारण बादलों की जलवाष्प का संघनन (ब्वदकमदेंजपवद) कम होगा अतः बारिश नहीं होगी जिससे समस्त जीवधारियों (जन्तु व पादप) का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

(3) तापवृद्धि के कारण पर्वतीय हिमनदों तथा ध्रुव प्रदेशों की बर्फ पिघल जायेगी जिसके फलस्वरूप सागर-तल ऊपर उठेगा।

(4) तापवृद्धि के कारण वायुमण्डलीय दाब की स्थितियों में परिवर्तन के कारण मौसम में अनिष्टकारी परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि आने वाले दशकों में असामायिक वृष्टि हो अर्थात् सावन – भादों सूखे रहें और दिसम्बर – जनवरी में बाढ़ आ जाये इसके फलस्वरूप फसल चक्र टूटने तथा कृषिगत बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो पूरा विश्व अकाल की चपेट में आ सकता है।

(अ) तापवृद्धि के कारण परजीवी आधारित बीमारियों (टमबजवत ठवतदम क्पेमेंमे) जैसे – मलेरिया, फाइलेरिया तथा डेंगू ज्वर आदि अनियंत्रित होकर महामारी का रूप ले लें।

ओजोन का क्षरण: एक पर्यावरणीय समस्या–

ओजोन मण्डल में व्याप्त ओजोन सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों (न्सजतंअपवसमज ल्ले) से सभी जीवधारियों (पादपों तथा मनुष्य सहित समस्त जन्तुओं) की रक्षा करती है। पिछले तीन दशकों से समतापमण्डलीय ओजोन का क्षरण वैज्ञानिकों के लिए एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। क्योंकि ओजोन परत की क्षीणता की समस्या ने विश्व के समस्त जीवधारियों का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया है।

ओजोन क्षरण की विधियाँ–

ओजोन क्षरण की प्राकृतिक प्रक्रिया

(1) सौर कलंक द्वारा

(2) पराबैंगनी विकिरण द्वारा

(3) ओजोन क्षरण की मानव–जनित प्रक्रिया

(4) क्लोरीन कारक –

क्लोरो लोरो कार्बन तथा हैलन के प्रयोग से चलने वाले साधनों, जैसे रेफ्रीजरेटर, वातानुकूलक तथा स्प्रे– कैन डिस्पेन्सर आदि के क्रियाशील (व्यमतंजपअम) होने से इन कृत्रिम रसायनों का वायुमण्डल में विमोचन होता है। इन साधनों से निर्मुक्त रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है तथा भूमितल पर से जहरीली (ज्वगपब) नहीं हो जाता है जहाँ वे ओजोन के क्षरण का कारण बनती है।

सल्फेट कारक –

सल्फेट, एरोसोल, ओजोन (व3) को सामान्य ऑक्सीजन (व2) में रूपान्तरित होने का कारण बनता है।

नाईट्रोजन ऑक्साईड कारक (छपजतवहमद व्गपकम थ्बजवत) –

सुपरसोनिक विमानों (ऐसे विमान जिनकी गति ध्वनि की गति से तेज हो) द्वारा उत्सर्जित नाईट्रोजन ऑक्साईड द्वारा समताप मण्डलीय (जतंजवेंचीमतपब) ओजोन का क्षय होता है।

प्रदूषण के प्रकार –

1. वायु प्रदूषण
2. जल प्रदूषण
3. मृदीय प्रदूषण

4. ध्वनि प्रदूषण

5. रेडियो धर्मी प्रदूषण एवं विघुत चुम्बकीय विकिरण प्रदूषण (म्समबजवत डंहदमजपब त्कपंजपवद च्वससनजपवद)

6. जैव – प्रदूषण

वायु प्रदूषण

हमारे वायुमण्डल में विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पायी जाती हैं, जैसे नाईट्रोजन (78.09 प्रतिशत), ऑक्सीजन (20.95 प्रतिशत), आर्गन (0.93 प्रतिशत) तथा कार्बन डाई ऑक्साईड (0.03प्रतिशत) की प्रमुख उपस्थिति है। इसके अलावा जल वाष्प, हाईड्रोजन, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टन, नियान तथा जेनान आदि गैसें हैं।

कार्बनमोनोऑक्साईड (CO) – इस गैस की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधनों (कोयला और खनिज तेल) के अपूर्ण दहन (प्दबवउचसमजम बवउइनेजपवद) के फलस्वरूप होती है।

सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन दहन क्षमता (व्गलहमद बंततलपदह ब्ंचंबपजल) को बिल्कुल कम कर देती है। जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है।

मीथेन (CH4) – मीथेन की उत्पत्ति गोबर तथा वनस्पतियों के सड़ने से पागुर करने वाले मवेशियों के गुदा द्वार से हवा छोड़ने (Farting), से दलदली (Marshy) व तर (wet) जमीनों में वायु–विहीन दशा (Anaerobic Situation) से होती है। समताप मण्डल (ैजतंजवेचीमतम) में मीथेन का सान्द्रण होने से जलवाष्प में वृद्धि होती है। जो कि हरित गृह प्रभावोत्पादक होती है। इस कारण निचले वायुमण्डल व धरातल पर ताप–वृद्धि होती है।

क्लोरो लोरो कार्बन – इससे समताप मण्डलीय ओजोन गैस (O3) का विनाश होता है। जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में धरातल पर पहुंचती हैं जो गोरी चमड़ी (लोगों की त्वचा पर विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव डालती है पर सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक होती है ओजोन की अधिकता से कैंसर तक हो सकता है।

वायुमण्डल का अधिक सान्द्रण हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। फलस्वरूप वैश्विक ताप वृद्धि होती है जो कि सर्वथा हानिकारक है।

नाईट्रोजन के ऑक्साईड (छपजतवहमद व गपकमे) – ऐसे तो नाईट्रोजन पादपों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ है। नाईट्रोजन के ऑक्साईड हानिकारका प्रभाव छोड़ते हैं। नाईट्रोजन के ऑक्साईड्स (वगपकमे) वायुमण्डल की नमी से प्रतिक्रया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो वर्षा के पानी

के साथ धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर आ जाता है। यह अम्ल वर्षा समस्त जीवधारियों के लिए अत्यन्त हानिकारक है।

कणिकीय पदार्थ (च्ंतजपबनसंजम डंजजमते) – मुख्यतः कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, उपले, लकड़ी आदि के दहल के फलस्वरूप उपत्पन्न होते हैं। कणिकीय पदार्थों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है–

धात्विक कणिकीय पदार्थ (डमजंससपब च्ंतजपबनसंत डंजजमते) – इनकी उत्पत्ति औद्योगिक खनन (Industrial Mining) निर्माण एवं धातु शोधन (Metal Procession) के दौरान होती है। इसके अन्तर्गत सीसा, अल्युमीनियम, तांबा, लोहा, जस्ता तथा कैडमियम आदि के अति बारीक कणों को शामिल किया जाता है। इनके कण हवा में उड़ते श्वास द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं जैसे सीमा मस्तिष्क, नाड़ी तन्त्र तथा गुर्दों आदि को नुकसान पहुंचाता है कैडमियम के कण श्वसन–विष की तरह कार्य करते हैं। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं तथा रक्त दाब को बढ़ाते हैं।

अधात्विक कणिकीय पदार्थ इसके अन्तर्गत ऐस्बेस्टस, सिरामिक्स सिलीका आदि के धुलिकणों तथा जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न कणों को सम्मिलित किया जाता है। इनका हवा में परिवहन होता रहता है। ये मौसमी दशाओं में अवांछनीय परिवर्तन लाते हैं पेड़ के पत्तों पर जम जाते हैं, धरातल पर भी इनका अवपात (सिसवनज) होता है। ये पादपों तथा जन्तुओं दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। विभिन्न प्रकार के धूलि कण श्वसन के माध्यम से मनुष्य के फेफड़ों (स्नदहे) में जाकर अनेक बीमारियों के कारक बनते हैं।

जैविक कणिकीय पदार्थ – इसके अन्तर्गत पादपों तथा जन्तुओं से निकलने वाले वायु प्रदूषकों तथा विषाणुओं एवं बैक्टीरिया के बीजाणुओं आदि को रखते हैं। जैसे– कपास तथा उन की धूल भी फेफड़ों में जाकर जमा और क्षयरोग जैसी बीमारियां उत्पन्न करती हैं।

तापीय वायु प्रदूषण –

स्वचालित वाहनों, औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा ताप विद्युत गृहों में जीवाश्म इंधनों के दहन के फलस्वरूप तथा रसोई घरों में गैस, लकड़ी उपले आदि के दहन के फलस्वरूप निसृत ऊष्मा उर्जा की वृहत् राशि का विमोचन वायुमण्डल में होता रहा है। जिसके कारण वैश्विक ताप वृद्धि मौसमी क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव तथा पर्यावरण में ऊष्मा संतुलन में अव्यवस्था फैलती है। इस तापीय वायु–प्रदूषण का परिणामी विपरीत प्रभाव समस्त जीवधारियों पर पड़ता है। आज के औद्योगिक जगत में तापीय वायु प्रदूषण एक भीषण समस्या बनकर खड़ा है। यदि इसकी शीघ्र रोकथाम न की गयी तो समस्त जीवध

ारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

वायु प्रदूषण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपना कर स्थिति में सुधार लाया जा सकता है –

वायु प्रदूषण के परिणामस्वरूप होने वाले घातक प्रभावों के बारे में लोगों को अधिकतम जानकारी दी जाय।

ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाय, जैसे– जैव द्रव्य ऊर्जा (ठपवउें म्दमतहल), ज्वरीय ऊर्जा सौर ताप ऊर्जा (वसंत जीमतउंस म्दमतहल), पवन ऊर्जा (पदक म्दमतहल) तथा जल विद्युत ऊर्जा (भ्लकमस च्वूमत म्दमतहल) आदि।

स्वचालित वाहनों में यथासंभव पेट्रोल की जगह संपीडित प्राकृतिक गैस (ब्वउचतमेमक छंजनतंस ळेंरू ब्छळ) का प्रयोग किया जाय।

डीजल की गाड़ियों में अति सूक्ष्म मात्रिक सल्फर युक्त डीजल या हरित डीजल का प्रयोग किया जाय। ध्यातव्य है कि न्सैव में सल्फर की मात्रा 0.005 प्रतिशत और हरित डीजल में 0.001 मात्र होती है। हरित डीजल यूरो – मानक का डीजल है। इनके अलावा वाहनों के अन्य वैकल्पिक ईंधन जैसे कोलबेड मीथैन, बायोडीजल आदि है। उनका प्रयोग अधिक और पेट्रोलियम के पारंपरिक रूपों का कम प्रयोग करके वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

ओजोन क्षयकारी पदार्थों के स्थान पर वैकल्पिक रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

पार्थेनियम या कांग्रेस घास के संपूर्ण विनाश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए।

पूरे विश्व में "एक जगह का प्रदूषण हर जगह का प्रदूषण है" च्वससनजपवद ।दलींमतम पे च्वससनजपवद म्अमतलींमतम की भावना जगाकर प्रदूषण को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करना चाहिए।

फैक्ट्रीयों की चिमनियों में बैग फिल्टर लगा होना चाहिए।

:: संदर्भ ग्रंथ सूची ::

परीक्षा मंथन – अतिरिक्तांक–1

परीक्षा मंथन – समसामयिक निबंध

प्रतियोगिता दर्पण – सितम्बर 2001

प्रतियोगिता दर्पण – दिसम्बर 2001

प्रतियोगिता दर्पण – अप्रैल 2006

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारतीय महिलाओं की नेतृत्व में भागीदारी

नीलिमा चटर्जी
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय,
बेगमगंज जिला रायसेन

प्रस्तावना :– भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका उनके लिंग के कारण आधीनता एवं दोयम दर्जे के आधार पर होती है, या फिर उसको रबड़ के स्टाम्प की भाँति उपयोग करने के लिए राजनीति में आगे कर पदों पर लाया जाता है। महिलाओं की अस्मिता की पहचान स्थापित करने के लिए न्यायपूर्ण एवं सामाजिक बराबरी के लिए उनकी क्षमताओं एवं योग्यताओं के आधार पर, सामाजिक स्वायत्ता सशक्तीकरण हेतु लिंग भेद नहीं करते हुए प्रशासन एवं राजनैतिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे।

वर्तमान में महिला की पहचान पुरूष के आधार पर ही रही है, जैसे माँ, बहन लड़की, पत्नी परन्तु उसकी स्वंय की सामाजिक भागीदारी स्थापित होने में संघर्ष के दौर से गुज़र रही है। हालाँकि भारतीय राजनीति में गिनी चुनी महिलाऐं महत्वपूर्ण राजैनतिक पदों को सुशोभित कर चुकी है या पदासीन है। मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि श्रीमति इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती डिंपल यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती कृष्णा गौर इत्यादि की राजनैतिक पारिवारिक पृष्ठ भूमि रही है वहीं श्रीमती सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती, श्रीमती जय ललिता, सुश्री उमा भारती, श्रीमती सुष्मा स्वराज, श्रीमती जमुना देवी, श्रीमती ममता बैनर्जी की अपनी स्वंय की पहचान है। उल्लेखनीय हैं कि गिनी चुनी महिलाओं से आदर्श स्थिति नहीं आ सकती है। अभी भी महिला नेतृत्व का पूर्ण रूपेण विकास एवं पूर्ति नहीं हो पाई है। भारत में महिलाऐं विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान हेतु निरंतर संघर्ष कर रही है। मेरे विचार से जिन मुख्य स्थानों पर महिलाऐं संघर्ष कर रही वे निम्न हैं :–

1. परिवार पर आश्रिता समाप्त करने के लिए।

2. आर्थिक मामलों में भागीदारी हेतु।
3. घर/बहार मानसिक एवं शारीरिक शोषण हेतु।
4. असमान मजदूरी के लिए।
5. सामाजिक नकारात्मक सोच को बदलने हेतु।
6. सहकर्मियों द्वारा योग्यता का गलत, आंकलन कदाचार यौन उत्पीड़न एवं मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति हेतु।
7. राजनीति में धारण किये गये पदों पर स्वंय निर्णय लेने हेतु।
8. महिला विकास हेतु समुचित सुविधाऐं जैसे किराये में छूट, आयु में छूट, सेवाओं एवं राजनीतिक पदों पर आरक्षण लागू करवा कर पदों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु।
9. घर में रहते हुए अपनी योग्यता एवं ज्ञान का समुचित उपयोग करने हेतु।
10. रूढ़िवादी प्रथाओं के समाप्ति हेतु।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन्म से प्रौढ़ावस्था तक, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक सभी महिलाओं का सर्वाग्रीण समन्वित विकास किया जाना अति आवश्यक है। महिलाओं के चहुमुखी विकास के बाद ही वह राजनैतिक जैसे महत्वाकांक्षी पद के धारण करने योग्य बन सकेगी। चहुमुखी विकास हेतु एक सशक्त महिला नीति होना अतिआवश्यक है। जिसमें निम्न मुद्दे शामिल हो :–

महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा एवं शिक्षा :–

1.1 लिंग परीक्षण कानून को सख्ती से लागू करना।
1.2 बालिका शिशु दर को नियंत्रित किया जाना।
1.3 बालिका कुपोषण पर ध्यान देना।
1.4 बालिका शिक्षा बढ़ावा हेतु पुस्तकें, सायकलें, ड्रेस, शिक्षावृत्ति, स्कूल से महाविद्यालय तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जावे।
1.5 उच्च शिक्षा हेतु जीरों प्रतिशत पर ऋण एवं प्रशासनिक सेवाओं हेतु निशुल्क प्रशिक्षण देना।
1.6 विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जेण्डर शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल करना।
1.7 बालिका शिक्षा हेतु परामर्श, प्रकोष्ठों की स्थापना।
1.8 बाल–महिला हेतु आयोगों की स्थापना कर उनके प्रतिवेदनों पर प्रभावी कार्यवाही करना।
1.9 कौशल विकास, स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
1.10 बालिका–महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं का समुचित प्रभावी प्रचार–प्रसार करना।

1.11 महिलाओं के लिए स्व–सहायता समूह एवं सहकारी संस्थाओं की स्थापना करना।

1.12 आंगनवाड़ी, दाई, कामकाजी महिलाओं को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए।

खेती में योगदान हो।

2.1 राजस्व पट्टों में महिला नाम की पृवृष्टि अनिवार्य हो।

2.2 बालिकाओं का संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित हो।

2.3 महिलाओं की कृषि में भागीदारी योजनाऐं बनाई जावें जिसमें उन्हें बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाऐं, कृषि यंत्र अधिकतम अनुदान पर या निःशुल्क प्रदाय किये जाए।

2.4 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रथक से कृषि प्रशिक्षण केन्द्र बनाऐं जावे।

2.5 कृषि मण्डियों में विक्रय के दौरान महिलाओं को आवास, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जावें एवं उनको प्रथमतः बिक्री अवसर प्रदान किये जाए।

2.6 किसान दीदी बनाई जाए ताकि योजना का प्रचार–प्रसार कर सकें।

उद्यानिकी एवं 3 उद्योगों में महिला संरक्षण :–

3.1 उद्यानिकी फसलों एवं वृक्षों के बढ़ावा हेतु महिलाओं को निशुल्क या अधिकतम अनुदान पर बीज एवं वृक्ष उपलब्ध कराये जावे।

3.2 फल एवं सब्जियों के संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज बनाने हेतु न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध कराये जावे।

3.3 उद्योगों में कार्यरत महिला मजदूरों की शोषण से मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जावे एवं समान मजदूरी दी जाए। साथ ही उनके दिन पाली के साथ कार्य के घंटे निश्चित हो।

3.4 महिलाओं के लिए लंच के लिए विशेष कक्ष हो एवं छोटे बच्चों के लिए वहाँ झूला घर हो।

कानूनी सहायता और मागदर्शन

4.1 हर आयुवर्ग की हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जावे।

4.2 प्रत्येक कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत पेटी लगाना, समिति गठन करना, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना।

4.3 विभिन्न बाल एवं महिला आयोगों को कानूनी सजा के अधिकार दिये जाऐ।

4.4 पीटा एक्ट, गार्जियनाशिप एक्ट में भेदभाव को समाप्त करना।

4.5 हिन्दू गोद एवं भरण–पोषण एक्ट में संशोधन किये जाऐ।

4.6 भारतीय तलाक विवाह कानून 1950 को, दहेज एक्ट में आवश्यक संशोधन, एवं सख्ती से लागू करना।

4.7 आई.पी.सी. की धारा 498। को जमानती बनाया जाए।

4.8 एफ.आई.आर. में देर नहीं करने एवं दण्ड को शीघ्र देने हेतु त्वरित कानून बनाए जावे।

4.9 महिलाओं को आत्म हत्या को मजबूर करने वालों को दण्ड देने की अवधि 6 माह सुनिश्चित किया जावे।

4.10 बाल विवाह, सतीप्रथा कानूनों को समयानुकूल लागू करने हेतु संशोधन किये जावे।

4.11 जेल से छूटी विधवा, परिव्यक्ता, अल्पसंख्यक वृद्ध महिलाओं को पुर्नवास केन्द्र बनाये जाकर कानूनी सलाह निःशुल्क दी जावें।

आरक्षण :–

5.1 शासन द्वारा जारी किये जाने वाले सभी पट्टे जैसे खदान, गोदामों, पोखर तालाब, बाजारों के पट्टे, खेतिहार मजदूरों के पट्टे, शक्कर, तेल, पेट्रोल पंप के पट्टों इत्यादि में महिलाओं का समुचित आरक्षण हो।

5.2 सभी शासकीय पदों पर महिलाओं को आबादी के 50 प्रतिशत के आधार पर आरक्षण दिया जावे।

5.3 सभी निर्वाचित पदों जैसे पार्षद, सरपंच, मेयर, विधायक, सांसद एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधी वाले पदों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं को आरक्षित किये जावे।

5.4 जहाँ एक जनप्रतिनिधी पद हो वहाँ चक्रानुक्रम आरक्षण प्रणाली अपनाई जावे ताकि महिलाओं को समुचित अवसर मिल सके।

5.5 प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय में अनिवार्यता 50 प्रतिशत महिलाऐं हो ताकि आसानी से कार्य कर सके।

5.6 खेल संस्थानों, तरणतालों एवं स्टेडियमों में महिला कोचों की पूर्ति सुनिश्चित हो।

6. महिलाओं को राजनीति हेतु तैयार करना एवं संरक्षण :–

6.1 महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं हेतु प्रचार–प्रसार एवं जन जागरण चलाया जावे।

6.2 निम्न तबके की महिलाओं के लिए चुनावी फंड बनाये जावे।

6.3 महिलाओं में नेतृत्व विकास हेतु आवश्यक प्रशिक्षण संस्थान बनाऐं जावे।

6.4 नेतृत्व, विकास हेतु समय–समय पर महिलाओं के लिए सेमीनार, वाद–विवाद, परिचर्चा संवाद, समूह चर्चा, भाषण दिलवाना इत्यादि आयोजित किये जावे ताकि महिला नेतृत्व का विकास हो सके।

6.5 विभिन्न ज्वलंत मुद्दो जैसे गरीबी भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, साफ–सफाई लोकपाल, अत्याचार जनसंख्या महंगाई बिजली इत्यादि पर रेलियाँ, अनशन, हड़ताल, पैदल मार्च, घेराव, सत्याग्रह, असहयोग, भूखहड़ताल जैसे गांधीवादी साधनों से परिचित कर महिलाओं में नेतृत्व विकास करना।

6.6 योग्यता, क्षमता एवं लोगों के बीच भलिभांति परिचित महिलाओं को विभिन्न पार्टियों, संगठनों दलों में जिम्मेदार पदों पर बिठाया जावें ताकि अन्य महिलाऐं भी उनका अनुसरण कर सकें।

6.7 पार्टी संगठनों में महिलाओं की नाममात्र की भूमिका नहीं होकर वास्तविक भूमिका होना चाहिए।

6.8 राजनैतिक पृष्ठ भूमि की महिलाओं को प्राथमिकता न देकर वास्तविक नेतृत्व क्षमता वाली महिलाओं को चुनाव में टिकिट दिया जाकर जिताया जावें ताकि जनसामान्य के बीच वास्तविक महिला नेतृत्व पहुँच सके।

6.9 विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद, विधान मण्डलों, नगर पालिका, नगर निगम, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, लोकसेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, बाल आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, शिक्षा अनुदान आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राजभाषा आयोग, फिल्म प्रमाणन बोर्ड सहित विभिन्न बोर्ड एवं मण्डलों इत्यादि में सभी वर्गों की महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व आरक्षण के आधार पर सुनिश्चित करते हुए योग्य एवं दक्ष महिलाओं को नामांकित किया जावे ताकि महिलाओं के समुचित नेतृत्व मिल सके।

6.10 विभिन्न दलों में महिला सदस्यों के अनुशासन हीनता के मामलों में निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रस्त नही हो ताकि महिला नेतृत्व का मनोबल नहीं टूटे।

6.11 ग्रामीण अंचलों एवं शहरों निम्न तबके की महिलाएं चुनाव तो जीत जाती है परन्तु वे अपने संवैधानिक पद जैसे सरपंच, जनपद मण्डल सदस्य, पार्षद कभी–कभी तो विधायक भी अपने संवैधानिक पद की शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाती है क्योंकि वे अपने पति, सगे संबंधियों अथवा प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथों की कठपुतली होकर रह जाती है। इस कारण वे अपने स्तर से कोई भी जनहित में निर्णय नहीं ले पाती है उनके स्थान पर उनके सरपंच पति, पार्षद पति या विधायक पति ही निर्णय लेते है। अतः हमारा कहना हैं कि महिलाएं रबड़ की सील नही बनें।

निष्कर्ष :– यह हैं कि वर्तमान में भारतीय महिला नेतृत्व अपने पूर्ण विकास की स्थिति में नहीं पहुंचा है गिनी–चुनी संभ्रात समाज एवं परिवार की लगभग महिलाओं को छोड़कर समाज में महिलाओं की स्थिति यथावत बनी हुई है। हमारे प्रजातंत्र की सफलता आधी आबादी को छोड़कर नहीं की जा सकती है। अच्छे प्रजातंत्र का अर्थ है कि सभी को बिना लिंग, भेद, जाति के समान अवसर मिले यह तभी संभव जब महिलाओं को समुचित सम्मान, जागरूकता, योग्यता के आधार पर कार्यविभाजन, संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, प्रचार–प्रसार, सकारात्मक रवैया, भावनात्मक सहयोग, रूढ़िवादी परम्पराओं में परिवर्तन विभिन्न गांधीवादी साधनों का उपयोग कर महिलाओं में नेतृत्व विकास किया जा सकता है जिससे वे स्वंय एवं देश को सक्षम नेतृत्व प्रदान कर सकें।

संदर्भ सूची :–

1. मुरलीधर चर्तुवेदी–भारतीय दण्ड संहिता 1860, नबम संस्करण 2011.
2. बी.आर. अम्बेडकर–भारतीय संविधान 97 वाँ संशोधित संस्करण 2011.
3. बी.एल. फड़िया–लोक प्रशासन नवीन संस्करण.
4. Chattopadhya Raghvendra and Esther Duflo 2004 - "Women as policy maker" Evidence from a Randomised policy experiment in India Econometric 72 (5)
5. Beaman Lori, Raghvendra Chattopadhya - 2009 Powerful women does exposure reduce Bias?" the Quarterly journal of economics 124 (4) 1497-1540.
6. Beaman Lori, Rohini Pande 2012 Female Leadership Raises Aspiration and education Attention for girl. A policy experiment in India Science Magazine 335-582 (6).

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

EDUCATION POLICY IN INDIA

Dr. Rajshri Tiwari
Principal
Takshshila College Jhirniya, Bhopal

Education in India is provided by the public sector as well as the private sector, with control and funding coming from three levels: central, state, and local. Under various articles of the Indian Constitution, free and compulsory education is provided as a fundamental right to children between the ages of 6 and 14. The ratio of public schools to private schools in India is 7:5.

India has made progress in terms of increasing the primary education attendance rate and expanding literacy to approximately three-quarters of the population in the 7–10 age group, by 2011. India's improved education system is often cited as one of the main contributors to its economic development. Much of the progress, especially in higher education and scientific research, has been credited to various public institutions. While enrolment in higher education has increased steadily over the past decade, reaching a Gross Enrolment Ratio of 24% in 2013,[5] there still remains a significant distance to catch up with tertiary education enrolment levels of developed nations,[6] a challenge that will be necessary to overcome in order to continue to reap a demographic dividend from India's comparatively young population.

As per the Annual Status of Education Report (ASER) 2012, 96.5% of all rural children between the ages of 6-14 were enrolled in school. This is the fourth annual survey to report enrolment above 96%. Another report from 2013 stated that there were 22.9 crore students enrolled in different accredited urban and rural schools of India, from Class I to XII, repre-

senting an increase of 23 lakh students over 2002 total enrolment, and a 19% increase in girl's enrolment.[9] While quantitatively India is inching closer to universal education, the quality of its education has been questioned particularly in its government run school system. Some of the reasons for the poor quality include absence of around 25% of teachers every day.[10] States of India have introduced tests and education assessment system to identify and improve such schools.

It is important to clarify that while there are private schools in India, they are highly regulated in terms of what they can teach, in what form they can operate (must be a non-profit to run any accredited educational institution) and all other aspects of operation. Hence, the differentiation of government schools and private schools can be misguiding.

In India's education system, a significant number of seats are reserved under affirmative action policies for the historically disadvantaged Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes. In universities, colleges, and similar institutions affiliated to the federal government, there is a maximum 50% of reservations applicable to these disadvantaged groups, at the state level it can vary. Maharashtra had 73% reservation in 2014, which is the highest percentage of reservations in India.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) is the apex body located at New Delhi, Capital City of India. It makes the curriculum related matters for school education across India. The NCERT provides support, guidance and technical assistance to a number of schools in India and oversees many aspects of enforcement of education policies. Other curriculum bodies governing school education system are:

The state government boards: Most of the state governments have one "State board of secondary education". However, some states like Andhra Pradesh have more than one. Also the union territories do not have a board, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry Lakshadweep, share the services with a larger state.

Indian School children

The Indian government lays emphasis on primary education, also referred to as elementary education, to children aged 6 to 14 years old. Because education laws are given by the states, duration of primary school visit alters between the Indian states. The Indian govern-

ment has also banned child labour in order to ensure that the children do not enter unsafe working conditions. However, both free education and the ban on child labour are difficult to enforce due to economic disparity and social conditions. 80% of all recognised schools at the elementary stage are government run or supported, making it the largest provider of education in the country.

However, due to a shortage of resources and lack of political will, this system suffers from massive gaps including high pupil to teacher ratios, shortage of infrastructure and poor levels of teacher training. Figures released by the Indian government in 2011 show that there were 58,16,673 elementary school teachers in India. As of March 2012 there were 21,27,000 secondary school teachers in India. Education has also been made free for children for 6 to 14 years of age or up to class VIII under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009.

This primary education scheme has also shown a high Gross Enrolment Ratio of 93–95% for the last three years in some states. Significant improvement in staffing and enrolment of girls has also been made as a part of this scheme. The current scheme for universalisation of Education for All is the Sarva Shiksha Abhiyan which is one of the largest education initiatives in the world. Enrolment has been enhanced, but the levels of quality remain low.A significant feature of India's secondary school system is the emphasis on inclusion of the disadvantaged sections of the society. Professionals from established institutes are often called to support in vocational training. Another feature of India's secondary school system is its emphasis on profession based vocational training to help students attain skills for finding a vocation of his/her choosing. A significant new feature has been the extension of SSA to secondary education in the form of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan.

A special Integrated Education for Disabled Children (IEDC) programme was started in 1974 with a focus on primary education. but which was converted into Inclusive Education at Secondary Stage Another notable special programme, the Kendriya Vidyalaya project, was started for the employees of the central government of India, who are distributed throughout the country. The government started the Kendriya Vidyalaya project in 1965 to provide uniform education in institutions following the same syllabus at the same pace regardless of

the location to which the employee's family has been transferred. H The National Policy on Education (NPE), 1986, has provided for environment awareness, science and technology education, and introduction of traditional elements such as Yoga into the Indian secondary school system.

In their favour, it has been pointed out that private schools cover the entire curriculum and offer extra-curricular activities such as science fairs, general knowledge, sports, music and drama. The pupil teacher ratios are much better in private schools (1:31 to 1:37 for government schools) and more teachers in private schools are female.[citation needed] There is some disagreement over which system has better educated teachers. According to the latest DISE survey, the percentage of untrained teachers (para-teachers) is 54.91% in private, compared to 44.88% in government schools and only 2.32% teachers in unaided schools receive in-service training compared to 43.44% for government schools. The competition in the school market is intense, yet most schools make profit. However, the number of private schools in India is still low - the share of private institutions is 7% (with upper primary being 21% secondary 32% - source: fortress team research). Even the poorest often go to private schools despite the fact that government schools are free. A study found that 65% school-children in Hyderabad's slums attend private schools.

As of January 2015, the International Schools Consultancy (ISC) listed India as having 410 international schools. ISC defines an 'international school' in the following terms "ISC includes an international school if the school delivers a curriculum to any combination of pre-school, primary or secondary students, wholly or partly in English outside an English-speaking country, or if a school in a country where English is one of the official languages, offers an English-medium curriculum other than the country's national curriculum and is international in its orientation." This definition is used by publications including The Economist.

Home-schooling

Home-schooling is legal in India, though it is the less explored option. The Indian Government's stance on the issue is that parents are free to teach their children at home, if they wish to and have the means. The then HRD Minister Kapil Sibal has stated that despite the

RTE Act of 2009, if someone decides not to send his/her children to school, the government would not interfere.

After passing the Higher Secondary Examination (the Standard 12 examination), students may enrol in general degree programmes such as bachelor's degree in arts, commerce or science, or professional degree programme such as engineering, law or medicine. India's higher education system is the third largest in the world, after China and the United States. The main governing body at the tertiary level is the University Grants Commission (India), which enforces its standards, advises the government, and helps coordinate between the centre and the state. Accreditation for higher learning is overseen by 12 autonomous institutions established by the University Grants Commission.

All India Institute of Medical Sciences Delhi

As of 2012, India has 152 central universities, 316 state universities, and 191 private universities. Other institutions include 33,623 colleges, including 1,800 exclusive women's colleges, functioning under these universities and institutions and 12,748 Institutions offering Diploma Courses. The emphasis in the tertiary level of education lies on science and technology. Indian educational institutions by 2004 consisted of a large number of technology institutes. Distance learning is also a feature of the Indian higher education system. The Government has launched Rashtriya Uchchattar Shiksha Abhiyan to provide strategic funding to State higher and technical institutions. A total of 316 state public universities and 13,024 colleges will be covered under it.

Prime Minister Manmohan Singh in 2007

The Government of India is aware of the plight of higher education sector and has been trying to bring reforms, however, 15 bills are still awaiting discussion and approval in the Parliament. One of the most talked about bill is Foreign Universities Bill, which is supposed to facilitate entry of foreign universities to establish campuses in India. The bill is still under discussion and even if it gets passed, its feasibility and effectiveness is questionable as it misses the context, diversity and segment of international foreign institutions interested in India. One of the approaches to make internationalisation of Indian higher education effective is to develop a coherent and comprehensive policy which aims at infusing excellence,

bringing institutional diversity and aids in capacity building.[57]

Red coloured two floored historic college building

The American college in Madurai, started in 1881 CE – One of the first five colleges in India to get autonomous status

Three Indian universities were listed in the Times Higher Education list of the world's top 200 universities — Indian Institutes of Technology, Indian Institutes of Management, and Jawaharlal Nehru University in 2005 and 2006.[58] Six Indian Institutes of Technology and the Birla Institute of Technology and Science—Pilani were listed among the top 20 science and technology schools in Asia by Asiaweek.[59] The Indian School of Business situated in Hyderabad was ranked number 12 in global MBA rankings by the Financial Times of London in 2010[60] while the All India Institute of Medical Sciences has been recognised as a global leader in medical research and treatment.[61] The University of Mumbai was ranked 41 among the Top 50 Engineering Schools of the world by America's news broadcasting firm Business Insider in 2012 and was the only university in the list from the five emerging BRICS nations viz Brazil, Russia, India, China and South Africa.[62] It was ranked at 62 in the QS BRICS University rankings for 2013[63] and was India's 3rd best Multi-Disciplinary University in the QS University ranking of Indian Universities after University of Calcutta and Delhi University.[64] Loyola College, Chennai is one of the best ranked arts and science college in India with the UGC award of College of Excellence tag.

Technical education

Indian Institute of Technology, Kharagpur

National Institute of Technology, Tiruchirappalli

From the first Five-year Plan onwards, India's emphasis was to develop a pool of scientifically inclined manpower.[65] India's National Policy on Education (NPE) provisioned for an apex body for regulation and development of higher technical education, which came into being as the All India Council for Technical Education (AICTE) in 1987 through an act of the Indian parliament.[66] At the federal level, the Indian Institutes of Technology, the Indian Institute of Space Science and Technology, the National Institutes of Technology and the Indian Institutes of Information Technology are deemed of national importance.[66]

The Indian Institutes of Technology (IITs) and National Institutes of Technology (NITs) are among the nation's premier education facilities.

The UGC has inter-university centres at a number of locations throughout India to promote common research, e.g. the Nuclear Science Centre at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Besides there are some British established colleges such as Harcourt Butler Technological Institute situated in Kanpur and King George Medical University situated in Lucknow which are important centre of higher education.

Central Universities such as Banaras Hindu University, Jamia Millia Islamia University, Delhi University, Mumbai University, University of Calcutta, etc. too are pioneers of technical education in the country.

In addition to above institutes, efforts towards the enhancement of technical education are supplemented by a number of recognised Professional Engineering Societies such as:

Institution of Mechanical Engineers (India)

Institution of Engineers (India)

Institution of Chemical Engineering (India)

Institution of Electronics and Tele-Communication Engineers (India)

Indian Institute of Metals

Institution of Industrial Engineers (India)

Institute of Town Planners (India)

Indian Institute of Architects

that conduct Engineering/Technical Examinations at different levels (Degree and diploma) for working professionals desirous of improving their technical qualifications.

The number of graduates coming out of technical colleges increased to over 7 lakh in 2011 from 5.5 lakh in FY 2010. However, according to one study, 75% of technical graduates and more than 85% of general graduates lack the skills needed in India's most demanding and high-growth global industries such as Information Technology. These high-tech global information technologies companies directly or indirectly employ about 23 lakh people, less than 1% of India's labour pool. India offers one of the largest pool of technically skilled graduates in the world. Given the sheer numbers of students seeking education in

engineering, science and mathematics, India faces daunting challenges in scaling up capacity while maintaining quality.

Vocational education

India's All India Council of Technical Education (AICTE) reported, in 2013, that there are more than 4,599 vocational institutions that offer degrees, diploma and post-diploma in architecture, engineering, hotel management, infrastructure, pharmacy, technology, town services and others. There were 17.4 lakh students enrolled in these schools. Total annual intake capacity for technical diplomas and degrees exceeded 34 lakh in 2012.[citation needed.

According to the University Grants Commission (UGC) total enrolment in Science, Medicine, Agriculture and Engineering crossed 65 lakh in 2010. The number of women choosing engineering has more than doubled since 2001.[citation needed]

Open and distance learning

At the school level, National Institute of Open Schooling (NIOS) provides opportunities for continuing education to those who missed completing school education. 14 lakh students are enrolled at the secondary and higher secondary level through open and distance learning.[citation needed] In 2012 Various state governments also introduced "STATE OPEN SCHOOL" to provide distance education.

At higher education level, Indira Gandhi National Open University (IGNOU) co-ordinates distance learning. It has a cumulative enrolment of about 15 lakh, serviced through 53 regional centres and 1,400 study centres with 25,000 counselors. The Distance Education Council (DEC), an authority of IGNOU is co-coordinating 13 State Open Universities and 119 institutions of correspondence courses in conventional universities. While distance education institutions have expanded at a very rapid rate, but most of these institutions need an up gradation in their standards and performance. There is a large proliferation of courses covered by distance mode without adequate infrastructure, both human and physical. There is a strong need to correct these imbalances.

Quality

Literacy

Main article: Literacy in India

According to the Census of 2011, "every person above the age of 7 years who can read and write with understanding in any language is said to be literate". According to this criterion, the 2011 survey holds the National Literacy Rate to be 74.07%. The youth literacy rate, measured within the age group of 15 to 24, is 81.1% (84.4% among males and 74.4% among females), while 86% of boys and 72% of girls are literate in the 10-19 age group.

Within the Indian states, Kerala has the highest literacy rate of 94.65% whereas Bihar averaged 63.8% literacy. The 2001 statistics indicated that the total number of 'absolute non-literates' in the country was 304 million.

As of 2011, enrolment rates are 58% for pre-primary, 93% for primary, 69% for secondary, and 25% for tertiary education.

Despite the high overall enrolment rate for primary education, among rural children of age 10, half could not read at a basic level, over 60% were unable to do division, and half dropped out by the age 14.

In 2009, two states in India, Tamil Nadu and Himachal Pradesh, participated in the international PISA exams which is administered once every three years to 15-year-old's. Both states ranked at the bottom of the table, beating out only Kyrgyzstan in score, and falling 200 points (two standard deviations) below the average for OECD countries.[82] While in the immediate aftermath there was a short-lived controversy over the quality of primary education in India, ultimately India decided to not participate in PISA for 2012,[83] and again not to for 2015.

While the quality of free, public education is in crisis, a majority of the urban poor have turned to private schools. In some urban cities, it is estimated as high as two-thirds of all students attend private institutions, many of which charge a modest US$2 per month. There has not been any standardised assessment of how private schools perform, but it is generally accepted that they outperform public schools.

Public school workforce

Officially, the pupil to teacher ratio within the public school system for primary education is 35:1.[86] However, teacher absenteeism in India is exorbitant, with 25% never showing up for work.[87] The World Bank estimates the cost in salaries alone paid to such teachers

who have never attended work is US $2 billion per year.[88]

References

"India Literacy Rate". UNICEF. Retrieved 10 October 2013.

Estimate for India, from India, The Hindu

"Education in India". World Bank.

India achieves 27% decline in poverty, Press Trust of India via Sify.com, 2008-09-12

"Gross enrollment ratio by level of education". UNESCO Institute for Statistics. Retrieved 10 December 2015.

"Global Education". University Analytics. Retrieved 10 December 2015.

"Over a quarter of enrollments in rural India are in private schools". The Hindu. Retrieved 21 August 2014.

"Indian education: Sector outlook" (PDF). Retrieved 23 January 2014.

Enrolment in schools rises 14% to 23 crore The Times of India (22 January 2013)

Sharath Jeevan & James Townsend, Teachers: A Solution to Education Reform in India Stanford Social Innovation Review (17 July 2013)

B.P. Khandelwal, Examinations and test systems at school level in India UNESCO, pages 100-114

Ramanuj Mukherjee. "Indian Education System: What needs to change?". Unlawyered.

"National Policy on Education (with modifications undertaken in 1992)" (PDF). National Council of Educational Research and Training. Retrieved 10 December 2012.

Vyas, Neena (30 June 2012). "10+2+3: A Game of Numbers?". India Today. Retrieved 10 December 2012.

Bamzai, Kaveree (24 December 2009). "1977-10+2+3 system of education: The new class structure". India Today. Retrieved 10 December 2012.

India 2009: A Reference Annual (53rd edition), 233

India 2009: A Reference Annual (53rd edition), 230–234

"National University of Educational Planning and Administration". Nuepa.org. Retrieved 16 August 2012.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

PARENTAL ATTITUDE TOWARDS GIRLS EDUCATION IN DISTRICT PULWAMA (J&K)

Nilofer Jan
Research Scholar,
Department of Continuing Education,
Barkatullah University, Bhopal

ABSTRACT

Education of the female children has become a universal issue for Asian nations hence the need for striving to achieve a balance between the enrolment and retention rates of their male counterparts. Although parental attitude towards girl child education vary from parent to parent, this paper tried to identify the perception of the parents regarding girls' education in district Pulwama Jammu and Kashmir during 2015-16. The data was collected from 160 parent respondents (male) for knowing their attitude towards girl's education for which an attitude scale consisting of 24 statements; all pertaining to schooling and education of girls and respondent's attitude was rated on a three-point Likert scale (Agree, Disagree and No decision). The results indicated that parents had positive thoughts and beliefs concerning girls' education. Their ideas regarding benefits of girls' education were positive regardless of their social and educational background. As for the barriers to girls' education, the findings pointed out that parents were mostly concerned about to lack of govt. policies, long distance to school, shortage of female teachers, financial difficulties and security affairs.

Introduction

Girl child education is that type of education which equips the women with all the necessary tools needed for the effective discharge of their own peculiar roles in the service of the nation and indeed, to booster their personal development as well. It is also an avenue that prepares an individual to acquire knowledge and skills that are life- long assets to them during the cause of their stay in this world. It is that process which becomes girl's reality effective. An educated woman understands her world and deals with society well effectively. In the opinion of Imogie (2002) the prosperity of a country depends not only on the strength of neither fortifications nor the abundance of its income, but depends on the number of well and quality based citizens, that is character, enlightenment and women education.

Girls` education has been viewed as a primary predictor for a number of development indicators including national fertility rates, infant mortality, family income and productivity. World Bank economists have recognized girls' education as single development intervention with the greatest individual and social returns (Brent, 2005). It is not only important as a social indicator or an engine for economic development leading to a greater level of health, economy, security, liberty and participation in social and political activity, but can possibly yield higher rate of return than any other investment available in developing world (World Bank, 2002).

Education is the right of every girl everywhere and also the key to transforming both the life of girl and the life of her community. Girls without education are denied the opportunity to develop their full potential and to play a productive and equal role in their families, their societies, their country and their world at large.

Parental attitude is a measure or an index of parental involvement. A child, brought up with affection and care in the least restrictive environment would be able to cope up better with the sighted world. Therefore, the family shapes the social integration of the child more than a formal school.

The attitude of the parents signifies that the supporting nature of family in their children's education. The parental attitude can be negative or positive. The negative attitude of the parents regarding education and schooling can prevent their children from getting educa-

tion. Positive attitude of the parents can be beneficial to their children in many cases and can be reflected in improvement in class performance, creating interest among children to learn, and higher achievement scores in reading and writing and academic achievement of the child. Favourable attitude towards schooling and education enhances parental involvement in children's present and future studies .Parent's attitude towards their children's education is affected adversely by low socio-economic status.

The growing awareness regarding education makes many families aware about the value of girl's education and act favourably towards schooling and education of the girls. They become a part of the decision making process of school, and decide the girl's future regarding higher education. The present investigation has been conducted with following objectives.

1. To know the educational and school attitude of parents towards girl education.
2. To know the future planning and aspirations of the parents towards girl education.
3. To know about perceptions of parents regarding the benefits of girl education.

Hypothesis

1. There is no significant difference in the attitude of parents regarding girl education
2. There is no significant difference in the planning and aspirations of the parents regarding girl education.
3. There is positive attitude in the perceptions of parents regarding benefits of girl education

Review of Literature

Miller (2007) presented an empirical analysis of the determinants of parental attitudes regarding girls' education upon household survey data collected in Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, and Himachal Pradesh. Results obtained by this survey found a positive relationship between parental attitudes and girls' educational attainment. Yet the report also revealed a significant minority of parents do not value girls' education. The main determinants were ownership of a small amount of land, the number of rooms in the house, the girl-child being enrolled in school, and the belief that education is important for girls' marriage prospects.

Aliyu (2009) investigated the attitude of parents towards girl child education in Kaduna state as perceived by teachers and school principals by using questionnaire as instrument in collecting data .The study discovered that preference of male over female education was common in the society and poverty emerged as a major factor in terminating girl child education. In addition, the study found that government participation was still in adequate to facilitate change in the area and recommended that urgent intervention of government to implement the laws governing girl child education so as to enhance and change the negligence of girl child education as provisioned in national policy on and provide equal access to education.

Buzdar and Ali (2011) investigated the parents' attitudes toward their daughters' education in tribal areas of district Dera Ghazi Khan (Pakistan) in which the findings disclosed the parents' positive perceptions toward their daughters' education but at the same time severe scarcity of human and physical infrastructure for girls' education was also presented in the area. The study further recommended several empirical steps to overcome these problems including provision of new school locations and ensuring the availability of school buildings, supporting infrastructure and teachers for already functioning schools in the area and financial aid for poor students was also proposed in the study.

Samal (2012) assessed the attitude of parents towards the education and schooling of their children and found that the overall attitude of the respondents was moderately favourable and positive towards schooling and education of their children.

Kamaldeen et al. (2012) assessed the perception, attitude and practices of parents in Okene Local Government Area of Kogi State towards girl-child education. The study revealed that the perception and attitude of respondents towards girl-child education was good. Over 90% of respondents were aware that education is a child right. Over 90% of them also thought that enrolling girl-child in primary school is important. Most of the respondents believed in enrolling their girl-child in primary school between the ages of two and five and about 90% of them thought that female child should be educated up to the tertiary level. There was still a lag in primary school completion among girls with a higher value when compared with the boys. The percentage of female drop out from primary school was 8.2%

compared with 2.7% for males. Poverty was found the major cause of female children's school dropout among respondents.

Area of study

The entire district of Pulwama in the state of Jammu & Kashmir, India was selected to conduct the present study. The total geographical area of this district is 1086 sq km. The district has four Tehsils viz. Awantipora, Pampore, Pulwama and Tral and 8 education zones. According to 2011 census, Pulwama district has a population of 560,440 of which 293,064 are male and 267,376 are female. The district has a population density of 516 inhabitants per square kilometre. Its population growth rate over the decade 2001-2011 was recorded as 27%. The district has a sex ratio of 912 females for every 1000 males, and a literacy rate of 63.48%; where, the literacy rate of male and females are 74.36% and 51.80% respectively.

Majority of the parents have a positive attitude towards girl's education but find difficulties in sending their girls due to lack of govt. policies. The head of the family are males, while the females took care of the children. In many fields girls are ignored especially in receiving education.

Parents made all efforts to ensure their boys attend school and make them in better position in society than girls. Girl's education in the past was considered as wastage of time and money. Some parents believed that female are only for domestic purpose. After getting married, they focus their new home and tend to forget their parents. Males are respected by their family members. Without a male child home is considered as incomplete.

Methodology and design of the Study

Sample : In order to achieve all the objectives of present investigation, the study consisted of residents of district Pulwama, Jammu and Kashmir. The data was collected from parents (male) of 20 randomly selected girl students from each zone for knowing the parental attitude towards girl's education. Thus making total 160 respondents. The collected data were analyzed and conclusions have been drawn.

Tool : An attitude scale was prepared by the researcher with the purpose to know the attitude of parents towards girl's education in district Pulwama Kashmir. The data was col-

lected through a scale consisting of 24 statements, all pertaining to schooling and education of girls. The respondent's attitude was rated on a three-point Likert scale (Agree, Disagree and No decision). The data was analysed by applying the percentage statistics.

Table 41: Showing the number of responses of the parents of girl students of different education zones of district Pulwama regarding their attitude towards girl child education in terms of following statements (N = 160).

Statement	Total Responses					
	Agree	%age	Disagree	%age	No decision	%age
ted girls can take decisions about themselves independently.	159	99.37	01	0.62%	00	00
ted girls will be able to raise their children more efficiently in future.	159	99.37	01	0.62%	00	00
education is essential for the society.	158	98.75	00	00%	02	1.25
ted girls support their families financially.	156	97.5	01	0.62%	03	1.87
ted girls contribute to social development.	153	95.62	02	1.25%	05	3.12
tion will create religious awareness in girls	149	93.12	10	6.26%	01	0.62
tion enables girls to be good house- wives in the future.	145	90.62	15	9.37%	00	00
should be provided with equal educational opportunities as boys.	145	90.62	15	9.37%	00	00
ies should support girl's education.	145	90.62	15	9.37%	00	00
tion enhances economic development by increasing literacy rate of females.	144	90	09	5.62%	07	4.37
t appropriate to send girls to school unless their teacher is female.	38	23.75	111	69.37%	11	6.87
should educate at home only.	32	20	85	53.12%	43	26.87
t right to send girls to school as they will be in the same environment with .	27	16.87	127	79.37%	06	3.75
orally wrong to send girls to school above certain age.	15	9.37	124	77.5%	21	13.12
an't be successful as boys at school.	10	6.25	131	81.87%	19	11.87
fficult for educated girls to get suitable life partner.	08	5	101	63.12%	51	31.87
will be more rebellious if they are sent to school.	07	4.37	135	84.37%	18	11.25
re important to spare money for boy's education.	06	3.75	134	83.75%	20	12.5
ore essential for girls to learn child care at home than going to school.	05	3.12	150	93.75%	05	3.12
ligion doesn't allow girls to attend school and become educated.	04	2.5	155	96.87%	01	0.62
t necessary for girls to go to school as their husband will take care of them marriage.	03	1.87	149	93.12%	08	5
t necessary for girls to become educated and get job to maintain the family.	02	1.25	153	95.62%	05	3.12
t necessary for girls to become educated and get job to maintain the family.	02	1.25	153	95.62%	05	3.12
ore essential for girls to learn house hold chores than going to school.	00	00	157	98.12%	03	1.87

Results and Discussion

Parents' positive attitude towards girl child's education is important in determining school attendance and academic achievement of the child. Favourable attitude towards schooling and education enhances parental involvement in children's present and future studies. In this regard, as per present study 99.37 percent parents agreed with statements like Educated girls can take decisions about themselves independently and Educated girls will be able to raise their children more efficiently in future, 0.63 percent disagreed & 0 percent no decision, followed by 98.75 percent which agreed with girl's education is essential for the society and 97.50 percent which agreed with educated girls support their families financially. The results are in conformity with those of Miller (2007) who also found a positive relationship between parental attitudes and girls' educational attainment. Similarly, 95.62 percent & 93.12 percent agreed with statements like educated girls contribute to social development and education will create religious awareness in girls, 1.25 percent & 6.26 percent disagreed and 3.12 percent 0.62 percent no decision respectively, while as only 1.25percent agreed with statement like It is not necessary for girls to become educated and get jot to maintain the family, 95.63percent disagreed and 3.12percent no decision, and with statement It is more essential for girls to learn house hold chores than going to school, 0 percent agreed, 98.13percent disagreed and 1.87percent opined no decision. Buzdar and Ali (2011) also investigated the parents' attitudes toward their daughters' education in tribal areas of district Dera Ghazi Khan (Pakistan) in which the findings disclosed the parents' positive perceptions toward their daughters' education but at the same time severe scarcity of human and physical infrastructure for girls' education was also presented in the area.

Conclusion

As per present study 99.37 percent parents agreed with statements like educated girls can take decisions about themselves independently and educated girls will be able to raise their children more efficiently in future, followed by 98.75 percent which agreed with girl's education is essential for the society and 97.50 percent which agreed with educated girls support their families financially, thus showed favorable attitude towards girl child education, while none agreed with it is more essential for girls to learn house hold chores than

going to school.

References :

" Aliyu, B. B. (2009). An assessment of parents' attitude towards girl child education in Kaduna state as perceived by teachers and school principles. Thesis submitted to faculty of education Ahamdu Bello University, Zaria Nigeria.

" Brent, N. (2005). Achieving the promise of girls' education strategies to overcome gender based violence. In Beninese schools.

" Buzdar, M. A. and Ali, A. (2011). Parental attitude towards daughter's education in tribal area of Dera Gazi Khan (Pakistan). Turkish online journal of qualitative enquiry 2(1): 16-23.

" Imogie, (2002). "Counseling for Quality. Assurance in education": A keynote address at the 26th Annual Conference of Counseling Association of Nigeria held at University of Benin.

" Kamaldeen, A. S., Buhari, A. M. and Parakoyi, D. B. (2012). Perception, attitude and practices of parents in Okene, Nigeria towards girl child education. International journal of scientific and research publications 2(8): 1-7.

" Miller, S. K. (2007). Determinants of parental attitude regarding girl's education in rural India. Post graduate thesis submitted to Georgetown University.

" Samal, R. (2012). Parent's attitude towards schooling and education of children. Project report submitted to national institute of technology Rourkela.

" World Bank, (2002). Education and HIV/AIDS.A window of hope. World Bank education section Human development. Washington DC.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

ROLE OF ALI TANTAWI IN THE FAMILY LAW OF SYRIA

SYED MOHD AMIN SHAH BUKHARI.
Research Scholar (Dep. of Arabic)
Barkatullah University Bhopal. M.P.

Abstract:- Family relations in Syria are governed by variety of Religious -or religiously-inspired- family or personal status laws. The Ottoman Law of Family Rights continued to govern matters of personal status until 1953. In Syria, Islam is a source of legislation. Shaikh Ali Tantawi drafted a comprehensive treatise on personal law, based on "Takhyyar" according to principles most suitable to changing social conditions. The 1953 Syrian law of personal status amended in 1975, 2003 and 2010 is predominately based on Islamic Legal sources, particularly Hanafi Fiqh. The SLPS is the general law because it applies to all Syrians, irrespective of their religion.

Shaikh Ali Tantawi is among the most eminent and prominent personalities known all over the world. He was born in Damascus in 1908 in a highly distinguished family of Islamic scholars. His father held the position of Ameen-al-fatwa, leading Faqih (jurist), a position bestowed to the most distinguished personality which he certainly was. Ali al-Tantawi was a man of strong convictions and enormous personal valour. The 1930s and 1940s witnessed famous literary disputes. Al-Tantawi joined them with great attention, supporting the stand of Mustafa Saqiq al-Rafi'e (1880-1937), who represented the more Islamically committed front, against Abbas Mahmud al-Aqqad.1 In politics, he contested

the elections to the first post-independence Syrian parliament in 1947. In spite of his strong appeal, he did not win a seat. There was evident meddling with the elections and al-Tantawi's name was high on the list of candidates who were out of favour with the government. It was so because his courage, his strong-minded stand for the people, his Islamic attitude and his sheer refusal to compromise on matters of principle made him a difficult character to deal with in political matters. That was the only time he stood for parliamentary elections, but he was always concerned with political developments. He spoke out on any issue of importance to the people, or touching on Islamic principles. In the late 1940s, he was instrumental in the formulation of the family laws in Syria, and took an important part in the drafting of Islamic laws in Egypt. After leaving Syria he resided in Saudi Arabia where he got nationality and was awarded King Faisal International Prize for the service of Islam.

Syria served as the centre of the Umayyad Caliphate until the Abbasid revolution of 756. Syria came under Ottoman control in 1516 following the expulsion of the Ottomans after World War I. The League of Nations declared a French mandate over the region in 1922 from which Syria gained independence in 1946.

The Ottoman law on Family Rights (OLFR) 1917 remained in force in Syria until 1953. The Qadi of Damascus, Shaikh Ali Tantawi had published a treatise on personal law detailing the legal rules derived from various schools of Islamic law in consonance with the new social conditions of Syria. This was a comprehensive treatise on personal law, based on "Takhyyur" according to principles most suitable to changing social conditions and the choices of the committee members of various Islamic Jurisprudence religious in accordance with the Hanafi school.2 This treatise was taken as the basic source-material by the commission which the Syrian government setup to draft a code of personal status. The commission based its draft on principles from Ali Tantawi's code, the OLFR. The OLFR governing the family relations of Muslims and it also included special sections for Jews and Christians. The OLFR contained not only Islamic Legal provisions derived from the Hanafi tradition but it also drew on rules from other schools of law. The OLFR was the first state promulgated codification of Muslim family law. After the collapse of the Ottoman Empire, the OLFR remained in place in several Middle Eastern countries, for example in Jordan until

1951 and in Syria until 1953.3 Soon the commission submitted draft and after a few months of debate in and outside the legislature it was enacted under the title 'Qanun-al-Ahwal al-Shakhsiyah'_ the Code of Personal Status Law 59 of 1953. It came in force on 17th September 1953. This Syrian law of personal status produced by the commission covers matters of personal status, family relations and intestate and testamentary succession and was the most comprehensive code issued in the Arab World to the date. The code declared dominant opinion in the Hanafi School of Jurisprudence, the predominant school of the Islamic thoughts under Ottoman Rule, to be the residual law (article 305 of the Code of Personal Status of 1953). Nevertheless, the clarifying remarks to the CPS, provides that the code availed itself also of the instrument of ikhtiyar, the freedom to choose suitable rules from other Islamic schools of law as well as from Syrian tradition rules. The Syrian Code of Personal Status no. 59 of 1953 contained 308 articles placed under the following six books- each divided into a number of chapters as follows :-

1. Marriage:- (i). Marriages and Engagement (ii). Elements of Marriage and its conditions (iii). Kinds of Marriage (iv). Effects of Marriage__(article 1-84).
2. Dissolution of Marriage:- (i).Talaq (ii). Mukhalaa (consensual divorce) (iii). Judicial Divorce (IV). Effect of Dissolution of Marriage (article 85-129).
3. Birth and its Results.
4. Capacity and legal Representation.
5. Bequests.
6. Inheritance_ General Principles.
7. Quranic Heirs etc.4

The Syrian government introduced a reformed personal status law that overhauled rules of marriage. Women could not marry until they were eighteen, though the judge could grant permission for those as young as thirteen if he felt the circumstances were appropriate.

The new Syrian Law Code introduced even more dramatic and unparalleled age limits. It gave the full authority to the judge to fore state any marriage in which the couple was not apt to each other in regard to their ages. Article 305 0f the SLPS directs that, for matters not specified in the text, alternative shall be had to doctrine of the Hanafi School. Major amend-

ments were made to the SLPS in 1975, particularly relating to the areas of polygamy, dower, maintenance, mut'a, cost of nursing, custody of children, and guardianship.

Most Egyptian and Syrian scholar Ulema, even very traditional ones, agreed of the move to codify Sharia law in the late nineteenth and early twentieth centuries. Ali Tantawi, wrote for the monarch or state to introduce administrative laws and restrictions in the best interest of the people. This was the allowed under the Sharia not only within the original, narrow window public interests (Maslaha) but also because the Almighty Allah orders Muslims to obey "those in authority among you". He was thus satisfied to supervise over marriage after marriage in his Damascus courtroom. While observing the age requirement of eighteen. What Tantawi could not endure was to bestow this law with any moral or religious weigh. At best it was a sensible policy for promoting health and welfare, at worst officious formalities to be reluctantly endured. Under age couples who married with a private Sharia contract undocumented by the state were still married in the eyes of Almighty Allah. Ali Tantawi also frequently granted exceptions for the brides as young as thirteen, as the new law allowed. He recalled how often he have stood next to such girls and found that they were taller than he was and were fully physically mature. "So its not simply a matter of age", he wrote, ' as those who hastily and mistakenly speak without knowledge or understanding about the marriage of the Messenger of Almighty Allah, May God's peace and blessings be upon Him, the best of mankind, the fairest and most just, about his marriage to Aisha when she was nine years old'. Had those outraged by this actually seen Aisha? She could have been well like the girls who came before him in court, especially, he wrote, since girls in hot climes can become mature as young as nine or ten.

It was not the passage of laws or restrictions that might benefit Muslims that Tantawi considered illegitimate. It was declaring the Prophets deeds depraved or questioning the legitimacy of his precedent in God eyes that the judge could not accept. Over a decade before the new age restrictions were introduced, Tantawi had angrily lectured both the outgoing and incoming Syrian ministers of justice about the profanity of the Ottoman Family Law Code (then still in effect). "It took a position not taken by any scholar ever before, he thundered, 'considering the marriage contract of a girl under nine to be invalid". This contra-

dicted the established Sunnah of the Prophet, who had contracted with Aisha when she was six or seven. "Was his marriage to her invalid?? He ended in a roar of disbelief.5

As a young student, Ali Tanawi had met 'Al-Kawthari'. Muhammad Zahid ibn Hassan al-Kawthari was the adjunct to the last Sheikh al-Islam of the Ottoman Empire and a well known Hanafi jurist, historian, and master of Hadith. Tantawi would recall later, "After I met him, I followed after no one else". Sitting in the Faith Masque bin the lesson given by Kawthari's last surviving student, he listened to him explain the meaning of Hadith. They are not controversial ones. I wonder how he would interpret Hadiths on Jihad or Aisha's marriage age.6

Ali Tantawi reached the top position of justice of the High Islamic Appeal Court. Being a judge affected his life in the sense that, socially, he moved within only his close circle of personal friends. Hence he gained wide reputation as a judge who maintained fairness at all costs. He continued to hold that position until he was forced out in 1963 by a revolutionary decree which dismissed large number of judges for the express purpose of making the judicial system submissive to the revolution that was the time when he had fo leave the Syria.

References:-

1. Adil Salahi, Scholar of renown Shaikh Ali Al-Tantawi, Article Published in 19-6-2001.

2. Rania Maktabi, State Law& Religion, Genedered Debates on Family Law in Syria & Lebanon. P5

3. Eijk, Ester. Van, Family law in Syria: A Popularity of Laws, norms, and legal practices, Doctoral Thesis, Leiden University- 2013. p27

4. Razi A. Diab Esq, Article , Religion and the law in Syria, Arab Centre for International Humanitarian Law and Human Rights Education.

5. Jonathan A.C. Brown, Misquoting Muhammad: The challenge and choices of interpreting the Prophets legacy, One world Publications 10 Bloomsbury Street London, England. 2014. p 155

6. Jonathan A.C. Brown, Misquoting Muhammad: The challenge and choices of interpreting the Prophets legacy, One world Publications 10 Bloomsbury Street London, England. 2014. p 160

Further Readings:-

Lynn Welchman, Woman and Muslim Family Law in Arab States. Amsterdam University Press, 2007.

Marvan M. Kraidy, Reality Television and Arab Policies Contention in Public Life. Cambridge University Press -2010.

" Mohammad Abu Rumman, Islamists, Religion, and the Revolution in Syria. Published in 2013 by Friedrich-Ebert-Stiftung, FES Jordan & Iraq / FES Syria FES-Jordan & Iraq Amman 11194, Jordan

" Gihane Tabet, Women in Personal Status Law: Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria. July 2005

Instruction for contributors/Authors

The journal *"Naveen Samajik Shodh"* publishes original articles, original research articles focusing on research which is useful societal development. It may include research from multiple disciplines like Medical, Engineering, Social Sciences, Tribal Areas and various other but should have some research component for societal developments. The official language is Hindi. Articles can be accepted in English with Hindi abstract.

All manuscripts/articles sent to the *"Naveen Samajik Shodh"* must be submitted solely to this journal, should not have been published in any substantial form in any other publication, professional or lay and will become property of the publishers. All manuscripts must be accompanied by the following written statement signed by all authors. The Undersigned authors certificates that the article is original, is not under considered by any other journal and has not been previously published. All copyright ownership of the manuscript entitled (Title of article) is hereby transferred to the publishers of the *Naveen Samajik Shodh*.

The editorial board of *Naveen Samajik Shodh* follows the protocol. The editors with the help of members of the editorial board review all materials in accordance with strait policy as the journal is a critically referred journal and is used as a resource by researches in various faculties. Authors will be given total freedom of communication in case their article/manuscript requires interaction with the editorial board. Decision of Editorial board will be final and is to be accepted by the submitting authors.

All statements, opinions expressed in the manuscript are those of the authors and not those of the edotor(s) or publishers. The editor(s) and publishers will not take any responsibility for such materials.

The editor(s) and publishers also do not guarantee, warrantee or endues any product or service advertised in the journal nor do they guarantee any claim made by manufacturer of such product or service.

Instructions for Preparing Manuscripts-

The manuscript/Article should be submitted on CD on PageMaker or M. S. Word to the editor. However 2 copies of the manuscript/Article on Hard Copy Size A4 Pages should be sent along with the CD.

Length of Article-

The article/manuscript submitted for publication should not exceed the limit (8 typed pages for review article, 6 typed pages for original article, 4 pages for case report or summary document and 2 pages for short communications including Book Reviews)

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

ISSN No. 0975-4431
25 रूप नगर कालोनी, जे॰ के॰ रोड, भोपाल
RNI No. MPHIM/2009/29572

मासिक शोध पत्रिका का वार्षिक/आजीवन सदस्य बनने हेतु

सदस्यता फार्म

नई सदस्यता नवीकरण वार्षिक आजीवन

श्री/श्रीमती ..... जन्मतिथि ...../...../.....

पता .....

..... पोस्ट ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

पिनकोड..... सदस्यता शुल्क.....रुपये(शब्दों में)

.....चैक/डी॰ डी॰/ मनीआर्डर क्र॰.....

बैंक..... दिनांक..... मोबाइल..... फोन..... ईमेल.....

ह॰

प्रदायकर्ता

नवीन सामाजिक शोध

ISSN No. 0975-4431
25 रूप नगर कालोनी, जे॰ के॰ रोड, भोपाल
RNI No. MPHIM/2009/29572

For annual and Lifetime membership

New membership renewal annual Lifetime

Mr./Mrs/Ms..... Date of Birth...../...../.....

Address.....

Post..... Tehsil..... District..... State..... Pin.....

Membership fee Rs. .....(in words)

cheque/DD/moneyorder No..... Bank.....

Date..... Mo..... Ph..... E-mail.....

Rs.

Provider

''त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवि नर्मदे''

नर्मदा सेवा यात्रा

प्रारम्भ - 11 दिसम्बर, 2016 | समापन - 11 मई, 2017
अमरकंटक में नर्मदा के दक्षिण तट से... | अमरकंटक में नर्मदा के उत्तर तट पर।

समाज और सरकार का सामूहिक संकल्प

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा की सेवा हेतु

जन-जन में अपार उत्साह

- 16 जिलों के 1100 गाँवों में 3350 किलोमीटर की यात्रा।
- नर्मदा तटों पर एक किलोमीटर के दायरे में व्यापक वृक्षारोपण।
- अपने खेतों पर वृक्ष लगाने वाले किसानों को दी जायेगी 3 वर्ष तक 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता।
- नर्मदा के दोनों तटों पर पांच किलोमीटर की सीमा तक नहीं होंगी शराब की दुकानें।
- नर्मदा तटों पर स्थित समस्त नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 1500 करोड़ की राशि स्वीकृत।
- नर्मदा तटों के दोनों तरफ 1 किलोमीटर की सीमा में स्थित सभी ग्राम होंगे ओडीएफ।
- नर्मदा सेवा कार्यों को स्थायित्व देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में नर्मदा सेवा समिति का गठन।

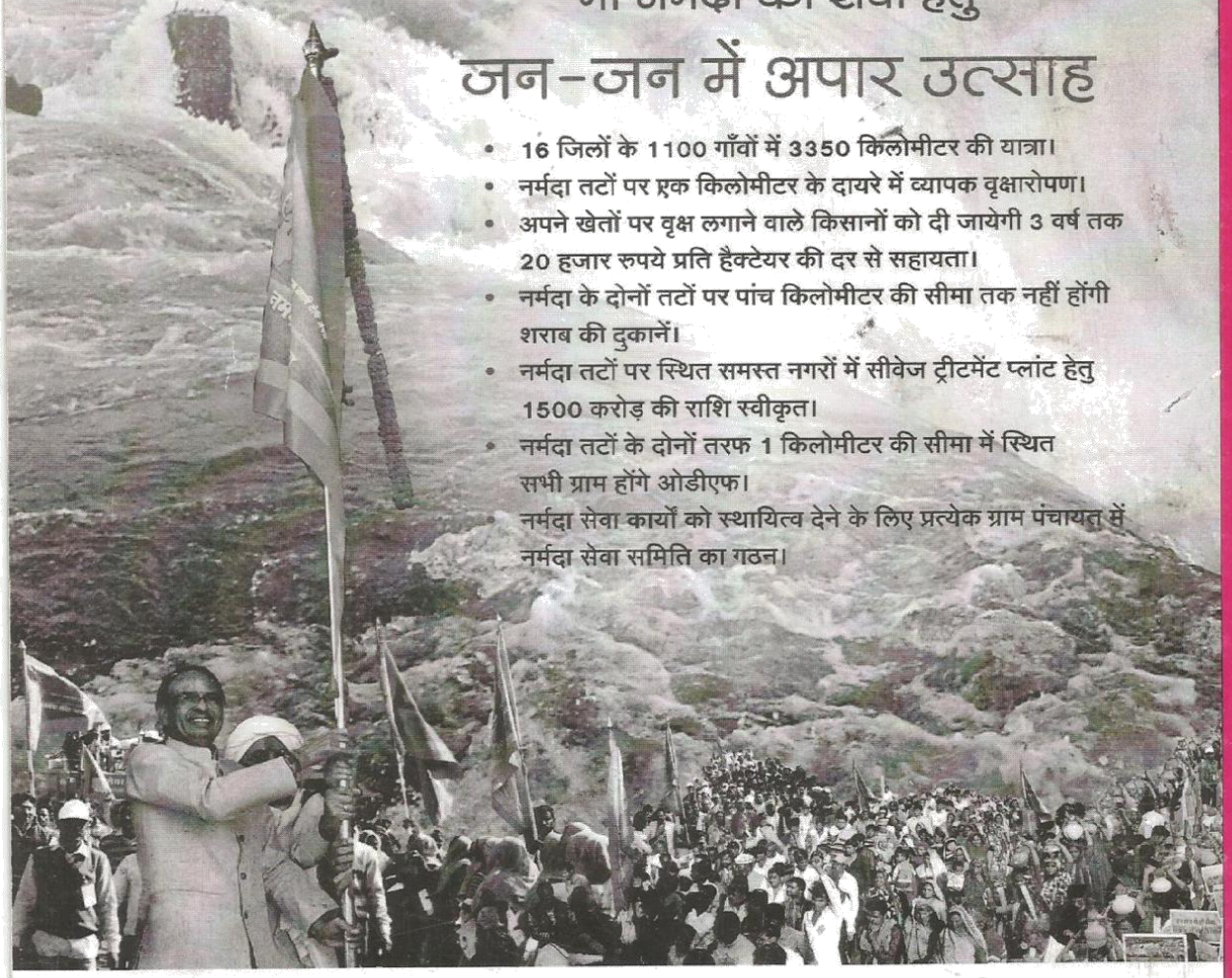

विश्व का सबसे बड़ा नदी संरक्षण अभियान

D 80459

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 0755-4911102, 4911103, वेबसाइट : namamidevinarmade.mp.gov.in
Follow Chief Minister Madhya Pradesh /CMMadhyaPradesh /CMMadhyaPradesh /ChouhanShivrajSingh

प्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2017

TAKSHSHILA COLLEGE

SINCE 1996

Gram - Jhirniya, Post-Mugalia Hat, Parwaliya Sadak, NH-12, Bioara Road, Bhopal

Recognised by NCTE New Delhi, Govt. of Madhya Pradesh & Affiliated to Barkatullah University Bhopal, M.P Board of Sec.Education (M.P)

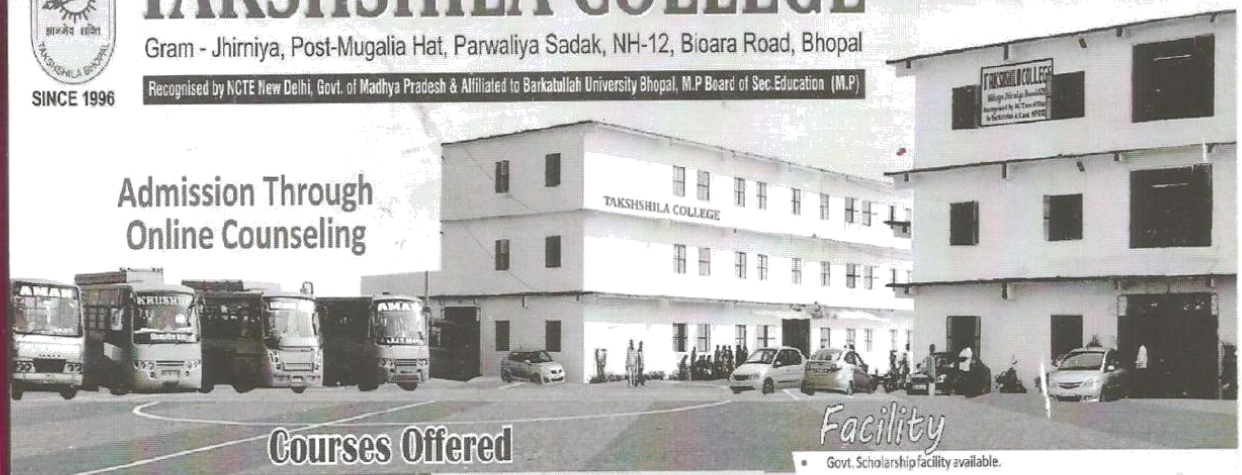

Admission Through Online Counseling

Courses Offered

Under Graduate Programs

- **B.Com.** (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)
- **B.Sc.** (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)
- **B.C.A.** (Computer Application)
- **B.A.** (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)
- **B.B.A.**

Post Graduate Programs

- **M.Sc.** (Computer Science, Chemistry)
- **M.Com.** (Tax, Management)
- **M.C.M.**
- **P.G.D.C.A.**

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

Facility

- Govt. Scholarship facility available.
- Bilingual Teaching faculty (Hindi, English).
- Well Experience & Qualified staff.
- College Bus facility.
- Well Equipped Laboratory of all practical subject.
- Internet & Wi-Fi Campus.
- Huge Digital Library.
- Training & Placement Cell.
- Canteen facility.
- Personality development classes.
- Indoor and Outdoor Games facility.

College level Scholarship for Deserving Stude

M.P. Online Kiosk Facility Available

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 77710

तक्षशिला कॉलेज

SINCE 1996

ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं म.प्र.शासन से मान्यता प्राप्त तथा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संब

Courses Offered

Under Graduate Programs

- **B.Com.** (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)
- **B.Sc.** (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)
- **B.C.A.** (Computer Application)
- **B.A.** (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)
- **B.B.A.**

Post Graduate Programs

- **M.Sc.** (Computer Science, Chemistry)
- **M.Com.** (Tax, Management)
- **M.C.M.**
- **P.G.D.C.A.**

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

1995 से लगातार

विगत 19 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित महाविद्यालय

रचना नगर भोपाल से ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भो नवीन एवं विशाल भवन में स्थानार्त

प्रवेश Online Counseling

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449